thearyasamaj.org

ओ३म्

युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती

वैदिक सार्वदेशिक

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली का साप्ताहिक मुख-पत्र

शुल्क :- एक प्रति 5 रुपया (भारत में) वार्षिक 250 रुपये तथा आजीवन 2500 रुपये

वर्ष 9 अंक 22 12 से 18 जून, 2014 दयानन्दाब्द 191 सृष्टि सम्वत् 1960853115 सम्वत् 2071 ज्ये. शु. 07

सभा प्रधान स्वामी अग्निवेश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मार्मिक अपील

वेदानुकूल आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ मदिरा संस्कृति, मांसाहार एवं कत्लगाहों पर रोक तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुत्सित विभीषिका पर अविलम्ब निर्णय लें

वेदों के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की विशेष माँग

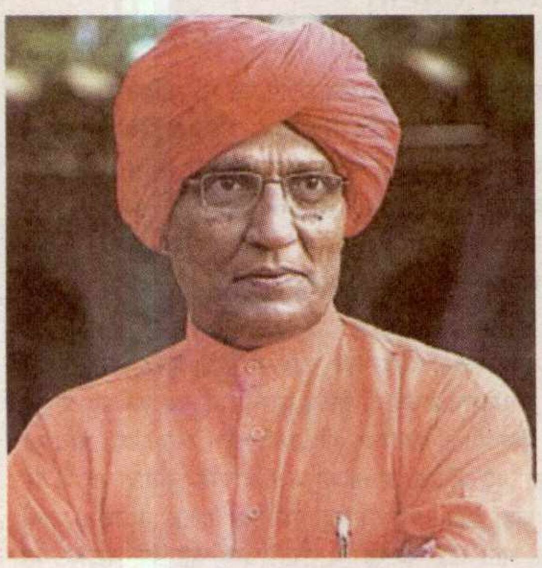

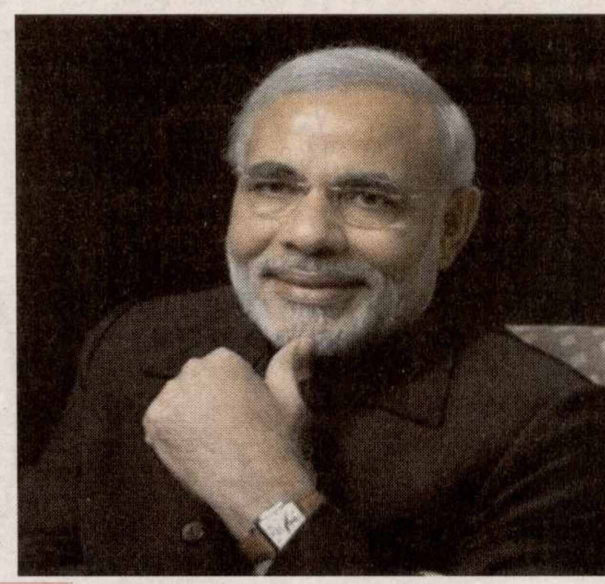

आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए एवं भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनायें। सबसे पहले तो मैं आपको दक्षेस के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करने के क्रान्तिकारी कदम पर साधुवाद देता हूँ। यह एक ऐतिहासिक कदम था, विशेषकर पाकिस्तान के वज़ीरे आला श्री नवाज शरीफ को उस समय आमंत्रित करना एवं उस निमंत्रण पर दृढ़ रहना, जबकि सीमा पार से लगातार गोलीबारी होती रही। मैंने इस कदम की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से विशेष सराहना की। (संलग्न) आपके मंत्री मण्डल के विस्तार में भी सामाजिक न्याय एवं सबको साथ लेकर चलने की भावना साफ नज़र आ रही है। महिलाओं का अप्रत्याशित प्रतिनिधित्व देख कर भी मन अति प्रसन्न हुआ। आशा है आगे भी आपकी ओर से ऐसे संकेत और अधिक प्रबल होंगे और 20 वर्षों से प्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल भी आपके नेतृत्व में ऐतिहासिक कानून बनेगा।

मैं सम्पूर्ण आर्य जगत की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सामाजिक एवं राजनैतिक विकास के साथ-साथ हमारे राष्ट्र को जिस चीज़ के सबसे अधिक आवश्यकता है। वह है वेदानुकूल आध्यात्मिक विकास जिसके लिए मैं निम्न मुद्दों पर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना एवं अपना सर्वाधिक सहयोग देना चाहूँगा।

1. शराब हर प्रकार की कुरीतियों एवं अन्याय की जननी है, इसीलिए अगर पूर्ण शराब बंदी देश में, आपके राज्य गुजरात की तरह संभव न हो, फिर भी सरकार द्वारा मदिरा संस्कृति को बढ़ावा एवं शराब के विक्रय का सरलीकरण तुरन्त प्रभाव से क्षीण होना चाहिये। आपने अपने प्रधानमंत्री मनोनीत होने पर, आपने सबसे पहले उद्‌बोधन में गरीबी हटाना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था। आप गहराई से अवलोकन करेंगे तो पायेंगे की गरीब परिवारों की सबसे बड़ी व्याधि एवं उन पर अन्याय बरपाने का सबसे प्रबल अस्त्र शराब ही है।

2. किसानों को अच्छी तरह लागत जोड़कर 50 प्रतिशत मुनाफा दिलाने की आपकी योजना आर्थिक क्रान्ति है। इसमें असंगठित वर्ग के मज़दूरों को चतुर्थ श्रेणी के बराबर तथा किसानों को तृतीय श्रेणी के बराबर पारिश्रमिक तय कर, भूमि की लागत पर ब्याज आदि को ध्यान में रखकर लागत तय किया जाना चाहिये। गरीबी हटाने के आपके संकल्प के साथ बंधुआ मजदूरी का कलंक मिटाने में यह सबसे कारगर कदम होगा।

3. आपने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में 'पिंक रिवोल्यूशन' पर कुठाराघात किया था, जिसके लिए आप विशेष साधुवाद के पात्र हैं। मैंने आपको पत्र लिखकर भी इस विषय में बधाई दी थी। अब आपसे अनुरोध है कि इस हिंसक एवं अत्यंत ही पैशाचिक संस्कृति पर वार करने के लिए जल्द से जल्द एक क्रान्तिकारी 'एक्शन प्लान' बनायें। माँसाहार समाज में स्वास्थ्य हानि, नैतिक पतन, पशु एवं मानवीय हिंसा, पर्यावरण के विध्वंस के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार है और इसकी संस्कृति से लोहा लेना अत्यंत ही पुण्य का काम होगा। आपसे अनुरोध है कि इस संदर्भ में देश में चल रहे हजारों कत्लगाहों पर तुरन्त ताले लगने चाहिये जिससे भारत के माथे पर लगा सबसे बड़े गोमांस उत्पादक निर्यातक का कलंक भी समाप्त हो। साथ ही, कम से कम आपकी सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि किसी भी सरकारी समारोह में तो किसी भी प्रकार का माँस न परोसा जाये।

4. कन्या भ्रूण हत्या जैसी दानवी प्रथा को रोकने में आपने अपने राज्य में जबरदस्त काम किया। अब आपसे आशा है कि इस कुत्सित विभीषिका से लड़ने के लिए अब केन्द्र से भी आप सख्त से सख्त कदम उठायेंगे।

5. वेद हमारी संस्कृति के अनूठे ज्ञानपुँज है एवं उनमें जो ज्ञान है वह सार्वजनिक एवं सम्पूर्ण मानव जगत के लिए है। धर्म के सही प्रसारण के लिए यह आवश्यक है कि आप पहल कर विश्वस्तर के कम से कम 5 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित करायें जो वेदों पर अध्ययन एवं अनुसंधान करें एवं सम्पूर्ण विश्व में वेदों का लाभ पहुँचाने में मदद करें। दूरदर्शन में भी वेद दर्शन एक प्रमुख कार्यक्रम हो तथा शिक्षा में वैदिक मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा का प्रावधान हो।

मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा सुझाए गए इन मुद्दों पर न केवल गम्भीरता से विचार करेंगे अपितु शीघ्रातिशीघ्र उनके क्रियान्वयन के लिए प्रयास भी करेंगे-और तब हम सब मिलकर यह गर्व से कह पायेंगे कि अच्छे दिन सचमुच आ गये।

धन्यवाद एवं शुभकामनाओं के साथ।

(स्वामी अग्निवेश)
प्रधान
मो. 9810976705
ईमेलः agnivesh70@gmail.com

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

नई दिल्ली
4 जून, 2014

प्रिय स्वामी अग्निवेश जी,

आपका 28 मई, 2014 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आपने राष्ट्र के आध्यात्मिक विकास से संबंधित अपने कुछ सुझाव दिए हैं।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

(नरेन्द्र मोदी)

स्वामी अग्निवेश
प्रधान, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
दयानन्द भवन
3/5, आसफ अली रोड
नई दिल्ली

---

thearyasamaj.org

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के सामने जानकारीविहीन तंत्र के खतरे

- सचिन कुमार जैन

भारत में विकास की बात बिना किसी प्रमाण और परिस्थिति का विश्लेषण किए कह दी जाती है। बीते 66 वर्षों की बात तो फिलहाल छोड़ दीजिए। 1991 से देश के आर्थिक विकास, सामाजिक बदलाव और समावेशी विकास को लागू करने की जबर्दस्त कोशिशें हुईं और इस दौरान जनमानस को एक चमकते भारत की तस्वीर दिखाई गई। लेकिन जिस समावेशी विकास की बात की जा रही है, उसका खाका किस आधार पर तैयार किया गया?क्या हमारे पास इन विषयों पर सही जानकारियाँ और आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर बड़ी योजनाएं बनाई या लागू की जा रही हैं और अच्छे दिन आने के दावे किए जा रहे हैं?

सबसे पहले बात करते हैं शौचालय के बारे में। खुले में शौच का व्यवहार न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह महिलाओं और दलित तबकों की गरिमा के खिलाफ भी माना जाता है। इससे निपटने के लिए समग्र स्वच्छता मिशन बना और वह बाद में निर्मल भारत अभियान में बदल गया। अभियान अभी भी चल रहा है। जरा इसकी परतें उघाड़कर देखें। वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 19.19 करोड़ परिवारों में से 6.99 करोड़ के यहां शौचालय थे। समग्र स्वच्छता अभियान के प्रभारी मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि तीन साल में भारत में 9.67 करोड़ शौचालय बने यानी अब भारत में कुल 16.66 करोड़ परिवारों के पास शौचालय होना चाहिए। इसके बाद 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में 24.66 करोड़ परिवारों में से 13.57 करोड़ के यहां शौचालय उपलब्ध है। निर्मल भारत अभियान भी भारत सरकार का है और जनगणना का काम भी। सवाल यह है कि 3.09 करोड़ परिवारों में सरकारी मदद से बने शौचालय कहां गए?हालांकि सीधे इसे शौचालय घोटाला नहीं माना जा सकता, लेकिन यह जानकारी जुटाने के एक ऐसे सिस्टम का प्रमाण है, जिसमें सही आंकड़े नहीं जुटाए जाते। लिहाजा परतें उघाड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। इस सिस्टम में होता यह है कि केन्द्र सरकार रिपोर्ट का प्रारूप बनाकर राज्य सरकार को दे देती है। कलेक्टर अपने मातहत कर्मचारी को थमा देता है। आखिर में पंचायत को यह जिम्मेदारी इस ताकीद के साथ सौंपी जाती है कि जितना टारगेट था, उसके हिसाब से जानकारी भरो और उसे 'शौचालय योजना में हमारे हिस्से' के साथ भेज देना। विकेंद्रीकृत व्यवस्था के जरिये समावेशी विकास का क्या यही सूचक है?

इसी तरह महिला बाल-विकास विभाग के बाबू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निर्देश होते हैं कि कुपोषित बच्चों की जानकारी मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्ज न की जाए। जमीनी कार्यकर्ताओं से सरकारी प्रपत्रों को पेंसिल से भरवाए जाने की व्यवस्था जड़ जमा चुकी है, ताकि पर्यवेक्षक और बाबू, नौकरशाह अपनी सहूलियत के हिसाब से आंकड़ों में हेरफेर कर सकें। नतीजतन देश में पूर्ण टीकाकरण अमूमन 125 प्रतिशत हो जाता है और कुपोषित बच्चों की संख्या 10 फीसद हो जाती है।

भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें डायरिया, मलेरिया, खसरा, निमोनिया, संक्रमण के कारण होती हैं। क्या सरकार को यह पक्का मालूम है कि बच्चों के स्वास्थ्य की चुनौतियां कौन-सी हैं?सरकार के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आंकड़ा बताता है कि मध्य प्रदेश में 18,182 नवजात शिशुओं की मौत हुई, लेकिन सरकार ने यह पता करने की कोशिश नहीं की कि इनमें से 8,030 बच्चों की मौत किस कारण से हुई। बीमारियों से मरने वाले एक साल से कम उम्र के 23,586 बच्चों में से 12,028 बच्चों की मौत के कारणों का पता नहीं। इसी तरह छह से 14 वर्ष के 6,947 बच्चों की मौत में से 2,878 मौत के कारणों की कोई जानकारी ही दर्ज नहीं हुई है। इसका एक कारण यह भी है कि देश में चिकित्सकों के लगभग 60 फीसद पद खाली हैं। मातहत स्वास्थ्य कर्मचारी मानते हैं कि बच्चों की मृत्यु का कारण लिखना सरकारी कार्यप्रणाली में एक अपराध है। भारत में लोगों की मृत्यु के कारणों के बारे में आधिकारिक जानकारियां वर्ष 2001-03 तक ही उपलब्ध हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की इस रिपोर्ट के बाद लाखों मौतें हो चुकी हैं, पर किसी को ठीक से नहीं पता कि किन कारणों से?

दरअसल, सरकार को सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर ठोस सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए, क्योंकि अधिकृत जन-सांख्यिकीय आंकड़ों और जानकारियों के अभाव में दूसरी संस्थाएं और कॉरपोरेट समूह अपने आकलन कर ऐसी तस्वीर पेश करते हैं, जिसकी प्रमाणिकता पर संदेह पैदा होता है। बड़ी जरूरत यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य बच्चों की स्थिति, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आय-व्यय के मामले में हर साल सूचनाएं जुटाई जाएं, उन्हें सार्वजनिक किया जाए। तभी जवाबदेही सुनिश्चित करने की ओर का पहला कदम उठाया जा सकेगा।

प्रत्येक 10 साल में होने वाली जनगणना को बहुत विश्वसनीय नहीं माना जाता, क्योंकि देश में जन्म और मृत्यु का पंजीयन नहीं कराया जाता है। अगर सरकार यह लागू करवा देती तो जनगणना की जरूरत ही नहीं पड़ती। यूनिसेफ के मुताबिक, भारत में हर साल 90 लाख लोग मरते हैं और 2.60 करोड़ लोग जन्म लेते हैं। इस हिसाब से सालाना लगभग 3.50 करोड़ पंजीयन होना चाहिए, लेकिन देश में सालाना 37.80 लाख (42 फीसद) लोगों की मृत्यु और 1.19 लाख (46 फीसद) व्यक्तियों के जन्म का पंजीयन ही नहीं होता है। बदहाली के कारण गांव से शहरों की तरफ और खेती से अन्य क्षेत्रों में पलायन एक नियमित कार्यक्रम बन चुका है। लोगों के सामने पलायन जिंदा रहने के लिए एकमात्र विकल्प है, लेकिन कौन, कहां से और क्यों पलायन कर रहा है और पलायन करके कहां जा रहा है, इस पर हमारी कोई निगरानी ही नहीं है। वे जहां जाते हैं, वहां तिरस्कार और अपमान होता है। कई घटनाओं से यह भी साबित हो चुका है कि एक बड़े तबके को आजीविका और सामाजिक न्याय के मद्देनजर सरकार के संरक्षण की जरूरत है, पर इस तरफ सरकार कोई मंशा नहीं दिखाती है। हर पंचायत को क्या निगरानी नहीं करनी चाहिए कि जातिगत उत्पीड़न और बेरोजगारी के अभाव में लोग कहां जा रहे हैं।

शिक्षा की बात करें तो एक गैर-सरकारी संस्था का अध्ययन बताता है कि वर्ष 2005 में कक्षा पांच में पढ़ने वाले 61.3 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा दो की किताब को पढ़ पा रहे थे। बीते साल यह स्तर और गिर गया। अब कक्षा पांच के केवल 47 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा दो की किताब पढ़ पा रहे हैं। जहां 2005 में कक्षा आठ के 69.8 प्रतिशत बच्चे गुणा-भाग कर पा रहे थे, वहीं अब यह दर घटकर 46 प्रतिशत रह गई है। हमारा मकसद शिक्षा की गुणवत्ता का विश्लेषण करना नहीं, बल्कि यह पूछना है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षा की गुणवत्ता के तथ्यात्मक मापन की अधिकृत व्यवस्था क्यों नहीं है?

दरअसल, सरकार को सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर ठोस सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए, क्योंकि अधिकृत जन-सांख्यिकीय आंकड़ों और जानकारियों के अभाव में दूसरी संस्थाएं और कॉरपोरेट समूह अपने आकलन कर ऐसी तस्वीर पेश करते हैं, जिसकी प्रमाणिकता पर संदेह पैदा होता है। बड़ी जरूरत यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य बच्चों की स्थिति, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आय-व्यय के मामले में हर साल सूचनाएं जुटाई जाएं, उन्हें सार्वजनिक किया जाए। तभी जवाबदेही सुनिश्चित करने की ओर का पहला कदम उठाया जा सकेगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जागरण से साभार

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् करेगा जयपुर में युवक चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन

दिनांक 16 से 22 जून, 2014 तक जयपुर (राज.) में आर्य समाज (जयपुर दक्षिण) के संयुक्त तत्वावधान में केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् युवक चरित्र निर्माण शिविर आयोजित करेगा।

शिविरार्थियों को शारीरिक शक्ति संचयन, संस्कृति रक्षा, आसन, प्राणायाम, वाद-विवाद प्रतियोगिता, गायन, चित्रकला आदि गतिविधियां सहित वैदिक कर्मकाण्ड में दीक्षित किया जायेगा।

यह आयोजन संस्कार छात्रावास, जी. एल. सैनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 7-8 राधा निकुंज-सी, रामपुरा मोहनपुरा रोड, केसरनगर चौराहे के पास होगा। यशपाल 'यश' से मो.:-9875035146 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

- ईश्वर दयाल माथुर, संयोजक

प्रवेश सूचना

गार्गी कन्या गुरुकुल भैया, चामड़, अलीगढ़ में कक्षा छठीं से प्रवेश प्रारम्भ हो गया है। निरन्तर अध्ययन-अध्यापन के साथ, आदर्श गुरुकुलीय दिनचर्या, अनुशासन सौम्य व शान्त वातावरण, शुद्ध आहार, ऋषिकृत ग्रन्थों का परीक्षापूर्वक अध्ययन सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता, शुद्ध मन्त्रोच्चारण, स्वास्थ्य व शुद्धता का नियमित निरीक्षण इस गुरुकुल की विशेषताएं हैं। आपकी सन्तान को वैदिक शिक्षा पद्धति से ओत-प्रोत कर सर्वथा सुयोग्य बनाना ही हमारा लक्ष्य है। प्रवेश की अन्तिम तिथि 30 जून है। इच्छुक अभिभावक निम्न दूरभाषांक पर सम्पर्क करें।

- स्वामी चेतनदेव वैश्वानर, प्रबन्धक गुरुकुल

मो.:- 9410426199, 9411879561

अन्धविश्वास - प्रगति में बाधा

- जसवन्त राय मुलगानी

वैसे तो सम्पूर्ण विश्व किन्तु भारतवासी विशेष रूप से अन्धविश्वास के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। अंधविश्वास मानव का ऐसा शत्रु है जो प्रगति की ओर बढ़ते कदमों में बेड़ी का कार्य करता है। कुछ दृष्टान्त अंधविश्वास के प्रस्तुत हैं जिससे स्पष्टत: निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है इस विनाशकारी तत्व के फलस्वरूप किस हद तक मनुष्य पतन की ओर अग्रसर होता है और हानि उठाता है।

फलित ज्योतिष - 80 प्रतिशत से अधिक पुरुष वर्ग तथा 95 प्रतिशत से अधिक महिलाएं ज्योतिष पर विश्वास करती हैं। इन दृष्टांतों का अवलोकन करें। ये दृष्टान्त सत्य घटनाओं पर आधारित हैं।

एक कार्यालय में एक ज्योतिषी जी महाराज पधारे। किस व्यक्ति को क्या पसंद है, किसके लन्च बॉक्स में क्या सब्जी है, आदि बताकर विश्वास पैदा कर दिया कि वह भविष्य के बारे में बता सकता है। एक कर्मचारी के बहुत आग्रह पर उस पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा कि उसका भविष्य बताने योग्य नहीं है। जब उस बन्धु ने बहुत आग्रह किया और दक्षिणा में मोटी राशि दी तो ज्योतिषी जी ने कहा बताना तो नहीं चाहता था, परन्तु आप बहुत आग्रह कर रहे हैं तो बड़े दु:ख से बताना पड़ रहा है कि आपकी आयु सीमा अगले वर्ष मार्च मास तक ही है। उस व्यक्ति को जिसे अपनी मृत्यु सम्मुख दिखाई दे रही हो उसकी मनोदशा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। उसके कार्यालय में एक वृद्ध सज्जन ने उन्हें बहुत समझाया कि उन ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं आना चाहिए परन्तु इनको तो मानसिक तनाव हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। उसके माता-पिता उसका विवाह कराना चाहते थे परन्तु उसका कहना था कि मेरी आयु मात्र कुछ ही शेष है, मैं किसी कन्या का जीवन क्यों बरबाद करूं। उसकी इसी मनोदशा के चलते येन-केन प्रकारेण मार्च का महीना आया और बीत भी गया। तब कहीं जाकर उसकी सांस में सांस आई। अब वही सज्जन दो बच्चों के बाप हैं। सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि उस व्यक्ति की मन:स्थिति कुछ कमजोर होती तो सम्भवत: प्राकृतिक रूप से भले ही उसकी मृत्यु न हुई होती, परन्तु ज्योतिषी जी तो उसे *अवश्य* मार देते।

एक ज्योतिषी की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई थी एक सज्जन ने उनको अपना हाथ दिखाना चाहा ताकि उस पर पड़ी रेखाएं उसके भग्य के बारे में बताएं। ज्योतिषी जी ने कहा कि उनकी बहुत बड़ी आयु है। वे अस्सी वर्ष तक जियेंगे। सात समुद्र पार जाने का योग है। उस सज्जन की भोपाल की एक झील में एक मास उपरान्त मृत्यु हो गई। यदि ये ज्योतिषी लोग भविष्य बता सकते तो सुनामी के आने की सूचना व गुजरात में आने वाले भूकम्प की पूर्व सूचना दे देते।

एक ज्योतिषी जी से एक ग्रामीण मिले और पूछा कि पंडित जी आप क्या विद्या पढ़कर आये हो?पण्डित जी बोले मैं भविष्य बता सकता हूं। ग्रामीण के हाथ में लाठी थी। ग्रामीण बोला तो बताइये कि मैं आपकी दांई कनपटी पर मारूंगा या बांई पर। पण्डित जी की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई और सोचने लगे कि यदि मैं दांई बोलूंगा तो यह बांई कनपटी पर और बांई बोलूंगा तो यह दांई कनपटी पर प्रहार करेगा। पण्डित जी ने हाथ जोड़े और जान बचाई।

जहां तक गणित ज्योतिष का प्रश्न है, वह एक महत्त्वपूर्ण विद्या है जो सूर्योदय, सूर्यास्त का समय, दिन-वार की गणना, सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहण की तिथि व अन्य ग्रहों की स्थिति की जानकारी देने में सक्षम है। यह एक विज्ञान है जो वर्षों से जाना और परखा गया है। परन्तु फलित ज्योतिष ठगी के अतिरिक्त कुछ नहीं जिसको अन्धविश्वास की संज्ञा दी जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस अभिशाप से बचकर रहना चाहिए।

टोनों का प्रभाव - आपने कभी सुना होगा कि कई बार चौराहों पर गुड़-चावल रखे होते हैं या दीपक जलाकर रखा होता है। ऐसा करने वाले लोगों को बताया गया होता है कि अमुक-अमुक सामग्री अन्धेरे के समय चौराहे पर रख देंगे तो आपके बच्चे का रोग किसी अन्य बच्चे को लग जायेगा और उसका बच्चा ठीक हो जायेगा। जरा ध्यान दें कि हममें स्वार्थ की भावना किस हद तक भर गई है कि हम यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाये, भले ही किसी दूसरे के बच्चे को कितनी ही हानि हो। वस्तुत: कुछ दुष्ट लोग आंख के अंधे गांठ के पूरे लोगों से ठगने के रास्ते अपनाते हैं। इस सन्दर्भ में दृष्टांत को पढ़ें -

एक महिला एक विद्वान साधु के पास गई और कहने लगी कि महाराज जरा मेरे बच्चे को देखिये, बहुत बुखार और जुकाम हो रहा है। लगता है इसे हवा लग गई। साधु महाराज वैद्य भी हैं। जब वे औषधि देने लगे तो वह महिला बोली, महाराज इसको ठंडी हवा नहीं लगी इसे तो ऊपरी टोना संबंधित हवा लगी है। रात को जब आपकी कथा सुनकर जा रही थी, तो बच्चा मेरी गोद में था। किसी ने चौराहे पर गुड़-चावल रखे हुए थे, मेरा पांव उस पर पड़ गया था तभी से उसे बुखार हो गया है। सुनिये महात्मा जी ने क्या सुन्दर उपदेश दिया। बोले, भोली माँ, मेरा एक भक्त गुड़ और चावल का व्यापार करता है। सारा दिन गुड़ और चावल की बोरियों पर कूदता रहता है, उसे तो कुछ नहीं हुआ और तुम चुटकी भर चावल गुड़ पर से गुजरी तो बच्चा बीमार हो गया। ये सब अन्धविश्वास की बातें हैं। इनसे मुक्ति पाओ। मैं औषधि दे रहा हूं, यह ठीक हो जायेगा।

बिल्ली का रास्ता काटना - अज्ञानता और अन्धविश्वास का एक और उदाहरण है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि यदि आप किसी कार्य हेतु घर से निकले हैं और यदि कोई पीछे से आवाज दे अथवा बिल्ली रास्ता काट जाये तो उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती एक सच्ची कहानी का वर्णन पढ़ें - एक नवयुवक जो नौकरी की तलाश में घर से निकलता है तो एक काली बिल्ली रास्ता काट जाती है। नवयुवक सायंकाल को निराश लौटता। घर वाले काली बिल्ली को कोसते कि इसी मनहूस के कारण नौकरी नहीं मिली। ऐसा कई बार हुआ। एक बार पुन: जब वह नवयुवक नौकरी के लिए घर से निकला तो सामने से एक बिल्ली आते दिखाई दी। नवयुवक ने सोचा कि यह फिर रास्ता काटेगी, युवक भागकर बिल्ली के आगे से निकल गया। उधर से आती बिल्ली जब उस रास्ते से निकली तो पीछे से आते हुए ट्रक से कुचली गई। नवयुवक सोच रहा था कि बिल्ली अधिक मनहूस थी या मैं?बिल्ली के रास्ता काटने से तो मुझे सिर्फ नौकरी नहीं मिली, परन्तु मेरे द्वारा बिल्ली का रास्ता काटने से तो उस बेचारी की जान ही चली गई। ये सब बातें तो बिल्कुल फिजूल की हैं, कार्य सिद्ध होने या न होने का सम्बन्ध दूर-दूर तक भी बिल्ली के रास्ता काटने से नहीं हो सकता।

तीन का अंक - कई बार किसी कार्य के लिए जाने लगते हैं और जाने वालों की संख्या तीन होती है तो कहा जाता है कि तीन का जाना ठीक नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार सृष्टि को चलाने वाले तीन देव हैं - ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं हैं?क्या सृष्टि का प्रभुत्व तत्त्व 1. परमात्मा, 2. जीवात्मा व 3. प्रकृति व परमात्मा के निज नाम 'ओम्' में ३ (प्लुत) का अंक, कहां से सभी कार्यों की सिद्धि में बाधक है?

भूत-प्रेत - भूत-प्रेतों का भय दिखाकर भोले-भाले लोगों से जिनका कोई निकट संबंधी किसी रोग से ग्रस्त है, यह बताकरके कि इस पर अमुक नाम का भूत है तथा उसके भगाने में दक्षिणा व सामग्री (मोटी रकम) वसूलकर उस रोगी के रोग को ठीक करने की बजाय बढ़ा देते हैं।

वास्तव में भूत-प्रेत कुछ डरावने व भयानक आत्माएं आदि नहीं हैं। जब व्यक्ति मर जाता है, उसकी संज्ञा के साथ भूतकाल की क्रिया लगती है, जैसे अमुक व्यक्ति भला पुरुष था और जो मृतक शरीर होता है, उसे वेदों में प्रेत कहा जाता है।

ग्रहों का चक्कर - ढोंगी पण्डित जी महाराज कहते हैं कि आप पर सूर्य ग्रह, रवि ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह आदि-आदि चढ़े हैं। उसके उतारने के लिए हजारों रुपये ठग लेते हैं। इस विज्ञान के युग में हम जानते हैं कि सूर्य आदि ग्रह हमारी पृथ्वी से हजारों गुना बड़े हैं। भला वे किसी मनुष्य पर कैसे चढ़ सकते हैं। यूरोप में जब गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, तो उसकी इस धारणा को बाइबिल के विपरीत मानकर उसे कठोर दण्ड दिये गये थे।

शेष पृष्ठ 11 पर

thearyasamaj.org

भूमकाल : बस्तर का मुक्ति संग्राम

आदिवासी अस्मिता में चोट के कारण उस सदी में लगभग दस विद्रोह हुए थे जिनमें भूमकाल का विद्रोह जनजातीय इतिहास में एक अविस्मरणीय विद्रोह था।

संजीव तिवारी

चित्र का संदर्भ : गणतन्त्र दिवस, 2014 पर निकली झांकी

भारत स्वतंत्रता आन्दोलन की 150 वीं वर्षगांठ मना रहा है । भारत के कोने कोने से 18 वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में उठी चिंगारियों से देश रूबरू हो रहा है । नृत्य, नाटिका, कविता, लेख व कहानियों के द्वारा इस महान व पवित्र संग्राम की गाथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है और हम पूर्ण श्रद्धा से उन अमर सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ की धरती भी इस स्वतंत्रता आंदोलन के महायज्ञ में अपनी आहुति देती रही जिसके संबंध में इन दिनों लगातार लिखा गया और छत्तीसगढ़ राज्य के श्रेष्ठ मंच निर्देशकों के द्वारा इसे मंचस्थ भी किया गया ।

17वीं एवं 18वीं सदी के छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यह बहुसंख्यक आदिवासी जनजातियों का गढ़ रहा है और धान, खनिज व वन संपदा से भरपूर होने के कारण अंग्रेज सन् 1774 से लगातार इस सोन चिरैया पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करते रहे हैं जिसमें आदिवासी, वन व खनिज बाहुल्य बस्तर अंचल का भूगोल भी रहा है जहां की भौतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों नें 'परदेशियों' को आरंभ से ललचाया है। बस्तर वनांचल क्षेत्र रहा है जहां सदियों से पारंपरिक जनजातियां मंजरों, टोलों व गांवों में शांति के साथ निवास करती रही है। काकतीय नरेशों व पारंपरिक देवी दंतेश्वरी की उपस्थिति इस सुरम्य वनांचल की अस्मिता रही है एवं ये आदिवासी दैवीय सत्ता के प्रतिरूप के रूप में राजा को अपना सबकुछ मानते रहे हैं। परम्पराओं के अनुसार उनके लिये राजा के अतिरिक्त किसी और की सत्ता स्वीकार्य नहीं रही है ऐसे में वे हर घुसपैठ का जमकर मुकाबला करने को सदैव उद्धत रहे हैं । आदिवासी अस्मिता में चोट के कारण उस सदी में लगभग दस विद्रोह हुए थे जिनमें भूमकाल का विद्रोह जनजातीय इतिहास में एक अविस्मरणीय विद्रोह था।

17वीं एवं 18वीं सदी के छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यह बहुसंख्यक आदिवासी जनजातियों का गढ़ रहा है और धान, खनिज व वन संपदा से भरपूर होने के कारण अंग्रेज सन् 1774 से लगातार इस सोन चिरैया पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करते रहे हैं जिसमें आदिवासी, वन व खनिज बाहुल्य बस्तर अंचल का भूगोल भी रहा है

आईये हम उस समय में बस्तर अंचल की स्थितियों पर एक नजर डालें। 17 वीं सदी के मध्य तक काकतीय नरेश बस्तर क्षेत्र में अपनी राजधानी दो तीन जगह बदलते हुए जगदलपुर में अपनी स्थाई राजधानी बना कर राजकाज करने लगे थे प्रजापालक राजाओं से जनता प्रसन्न थी। सन् 1755 में नागपुर के मराठों नें छत्तीसगढ के सभी क्षेत्रों में मराठा सत्ता कायम कर लिया तब अन्य गढो सहित बस्तर के राजाओं से अधिकार छीन लिये थे। इस प्रकार से बस्तर के भी राजा नाममात्र के सील ठप्पा ही रह गये थे। इधर संपूर्ण भारत में धीरे धीरे पैर जमाती ईस्ट इंडिया कम्पनी नें सन् 1800 में रायगढ़ राज में अपना घुसपैठ कायम कर छत्तीसगढ में अंग्रेजी सत्ता का ध्वज फहरा दिया था। इसके बाद के वर्षों में अंग्रेजों की कुत्सित मनोवृत्ति नें विरोध व विद्रोहों का निर्ममतापूर्वक दमन करते हुए सन् 1891 तक छत्तीसगढ के अन्य गढों में भी अपना कब्जा कर लूट खसोट के धंधे को मराठों से छीन लिया था।

पहले ही बतलाया जा चुका है कि बस्तर में अंग्रेजी हुकूमत एवं आतताईयों के विरूद्ध लगभग नव विद्रोह हो चुके थे। बारंबार विद्रोहों के कुचले जाने के कारण स्वाभिमान धन्य शांत आदिवासी अपनी अस्मिता के लिये उग्र हो चुके थे उनके हृदय में ज्वाला भडक रही थी। ऐसे समय में 1891 में अंग्रेज शासन के द्वारा बस्तर का प्रशासन पूर्ण रूप से अपने हाथ में लेते हुए तत्कालीन राजा रूद्र प्रताप देव के चाचा लाल कालेन्द्र सिंह को दीवान के पद से हटाकर पंडा बैजनाथ को बस्तर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। पंडा बैजनाथ के संबंध में यह कहा जाता है कि वह एक बुद्धिमान व दूरदर्शी प्रशासक था उसने तत्कालीन राजधानी जगदलपुर का मास्टर प्लान बनाया था एवं बस्तर में विकास के लिये विभिन्न जनोन्मुखी योजना बनाकर उसे प्रशासनिक तौर पर कार्यान्वित करवाने लगा था।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अंग्रेजी हुकूमत के कारिंदों के द्वारा आदिवासियों पर जम कर जुल्म ढाये गये। अनिवार्य शिक्षा के नाम पर आदिवासियों के बच्चों को जबरन स्कूल में लाया जाने लगा एवं विरोध करने पर दंड दिया जाने लगा। सुरक्षित वन के नियम के तहत जंगल पर आश्रित आदिवासियों को अपने ही जल जंगल व जमीन से हाथ धोना पड रहा था या भारी भरकम जंगल कर देना पड रहा था। लेवी एवं अन्य करों का भार बढ गया था विरोध करने पर अंग्रेजी हुक्मरानों के द्वारा बेदम मारा जाता था एवं कारागारों में डाल दिया जाता था। पंडा बैजनाथ के द्वारा तदसमय में शराब बंदी हेतु बनाये नियमों के तहत शराब विक्रय को केन्द्रीकृत करने ठेका देने व घर घर शराब निर्माण को बंद कराने का आदेश पारित किया गया था, आदिवासियों की मान्यता के अनुसार उनके बूढा देव को शराब का चढावा चढता था एवं वे उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते थे ऐसे में उन्हें लगने लगा कि उनके देव के साथ, उनकी धर्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड किया जा रहा है।

अंग्रेजी हुकूमत के कारिंदों के द्वारा आदिवासियों पर जम कर जुल्म ढाये गये। सुरक्षित वन के नियम के तहत जंगल पर आश्रित आदिवासियों को अपने ही जल जंगल व जमीन से हाथ धोना पड रहा था या भारी भरकम जंगल कर देना पड रहा था।

पंडा बैजनाथ के द्वारा प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से बस्तर के बडे गांव एवं छोटे नगरों में पुलिस व राजस्व अधिकारियों की नियुक्तियां की गई एवं वे कर्मचारी आदिवासियों की सेवा करने के स्थान पर उनका शोषण ही करते गये। कुल मिला कर बस्तर की रियाया पंडा बैजनाथ के प्रशासन से त्रस्त हो गई थी। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार बस्तर का यह मुक्ति संग्राम पूर्णतः पंडा बैजनाथ के विरूद्ध ही केन्द्रित रहा है।

इसके साथ ही अन्य परिस्थितियों में बस्तर को लूटने के उद्देश्य से 'हरेया' बाहरी लोगों का बेरोकटोक बस्तर आना जाना रहा है, अंग्रेजों के द्वारा मद्रास रेसीडेंसी से बस्तर प्रशासन को सहयोग करने के कारण मद्रास रेसीडेंसी के 'तलेगा' के लोग क्रमशः बस्तर आकर बसने लगे थे एवं प्रशासन से साठ गांठ कर के आदिवासियों की जमीन हडपकर खेती और वनोपज पर अपना कब्जा जमाने लगे थे और गरीब भोले आदिवासियों से बेगारी कराने लगे थे। एक तो आदिवासियों से उनकी जमीन वन नियम के तहत छीनी जा रही थी दूसरे तरफ मद्रास के लोग वन भूमि पर कब्जा करते जा रहे थे और आदिवासी अपने ही खेतों व जंगलों में बेगारी करने को मजबूर थे। बस्तर में खनिज, वनोपज का लूट खसोट आरंभ हो चुका था। 'बाहरी' 'परदेशी' बस्तर के अंदर भाग तक पहुच कर संपदा का दोहन करने लगे थे। आदिवासियों के मन में इस दमन व शोषण के विरूद्ध क्रोध पनपने लगा था।

उस समय की राजनैतिक परिस्थितियों के संबंध में जो अटकलें लगाई जाती हैं उसके अनुसार राजा भैरम देव के उत्तराधिकारी नहीं रहने व जीवन के अंतिम काल में पुत्र रूद्र देव प्रताप सिंह देव के पैदा होने के कारण जगदलपुर के राजनैतिक परिस्थितियों में उबाल आने लगा था या कृत्तिम तौर पर इसे हवा दिया जा रहा था। राजा भैरमदेव के भाई लाल कालेन्द्र सिंह का बस्तर में भरपूर सम्मान रहा। वह विद्वान एवं आदिवासियों पर प्रेम करने वाला सफल दीवान रहा। संपूर्ण बस्तर राजा भैरमदेव से ज्यादा लाल कालेन्द्र सिंह का सम्मान करती थी। तत्कालीन राजा भैरमदेव के दो दो रानियों के बावजूद कोई संतान हो नहीं रहे थे ऐसे में लाल कालेन्द्र सिंह के मन में यह बात रही हो कि भावी सत्ता उसके हाथ में ही होगी यह उनका पारंपरिक अधिकार भी था किन्तु रानी के गर्भवती हो जाने पर अपने स्वप्न को साकार होते न देखकर लाल कालेन्द्र सिंह के कुछ आदिवासी अनुयायियों नें यह फैलाना चालू कर दिया कि रानी का गर्भ अवैध है एवं कुंअर रूद्र देव प्रताप सिंह में राजा के अंश न होने के कारण वह भावी राजा बनने योग्य नही है उसके इन बातों का समर्थन एक और रानी सुबरन कुंअर नें किया और दबे जबानों से आदिवासियों की भावनाओं को वैध अवैध का पाठ पढाया जाने लगा। परिस्थितियों नें राजा रूद्र प्रताप देव के विरूद्ध असंतोष को हवा दिया और आदिवासियों का साथ दिया। लाल कालेन्द्र सिंह एवं रानी सुबरन कुंअर नें आदिवासी जनता पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि किशोर कुंअर रूद्र प्रताप सिंह राजा घोषित होने के बाद भी इन दोनों से डरता था। और वह समय भी आ गया जब लाल कालेन्द्र सिंह को दीवान के पद से हटा दिया गया और अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त प्रशासक पंडा बैजनाथ बस्तर का दीवान घोषित हो गया। पूर्व दीवान लाल कालेन्द्र सिंह व रानी सुबरन कुंअर की राजनैतिक महत्वाकांक्षा को विराम लगा दिया गया, आदिवासियों को यह अनकी अस्मिता पर कुठाराघात प्रतीत हुआ।

'बाहरी' 'परदेशी' बस्तर के अंदर भाग तक पहुच कर संपदा का दोहन करने लगे थे। आदिवासियों के मन में इस दमन व शोषण के विरूद्ध क्रोध पनपने लगा था।

शेष पृष्ठ 9 पर

thearyasamaj.org

इस विकास की कीमत

- विनोद कुमार

हमारे देश का अभिजात तबका और शहरी मध्यम वर्ग उदारीकरण और नई औद्योगिक नीति का कमोबेश समर्थक है। वह उसके पक्ष में दलीलें देता है। इसी तरह दक्षिणपंथी और मध्यवर्ती राजनीतिक दल चाहे वह कांग्रेस हो, भाजपा हो या बसपा, राजद आदि नई औद्योगिक नीति के बारे में लगभग मिलते-जुलते विचार रखते हैं। वामपंथी दल उदारीकरण और नई औद्योगिक नीति के बारे में हाल तक थोड़ी भिन्न भाषा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सत्ता की राजनीति ने उन्हें भी काफी हद तक बदल दिया है। आज वे भी नई औद्योगिक नीति और उदारीकरण के पैरोकार हो गए हैं। चाहे वे रूस के गोर्बाच्येव हों या फिर बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य। लेकिन बुद्धिजीवियों को लेकर कभी-कभी असमंजस की स्थिति बन सकती है। वह भी तब, जब वह अमर्त्य सेन जैसा सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हो।

अमर्त्य सेन वैसे तो देश में व्याप्त विपन्नता और विषमता को वर्तमान सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की ही उपज मानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वे भी उदारीकरण और औद्योगीकरण के पैरोकार हैं। उनकी भी स्पष्ट समझ यह है कि खेती अब अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान नहीं कर सकती, औद्योगीकरण ही एकमात्र रास्ता है। वे तो यहां तक कहते हैं कि खेती योग्य जमीन पर उद्योग धंधे स्थापित होने में कोई हर्ज नहीं। समय-समय पर आने वाले उनके वक्तव्यों, साक्षात्कारों खासकर सिंगूर और नंदीग्राम के घटनाक्रम के दौरान सामने आए विचारों में वे स्पष्ट रूप से यह नजरिया रखते नजर आते हैं।

बहुतों को याद होगा कि बांग्ला की सुप्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने सिंगूर और नंदीग्राम की घटना के आलोक में पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार की कटु आलोचना की थी। उन्होंने तब कहा था कि हमें उस रास्ते से परहेज करना चाहिए जिससे कलिंगनगर, सिंगूर और नंदीग्राम जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अमर्त्य सेन ने न सिर्फ वाममोर्चा सरकार की नीतियों का समर्थन किया, बल्कि उनका तो स्पष्ट कहना था कि औद्योगिक केन्द्रों का विकास तो खेतिहर जमीन पर ही होता रहा है। टेलीग्राफ अखबार में दिए एक साक्षात्कार में वे इंग्लैंड के लंकाशायर और मैनचेस्टर जैसी जगहों का उदाहरण देते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ जमीन थी किसी समय। यानी परोक्ष रूप से वे कहते हैं कि टाटा की कार-कंपनी के लिए सिंगूर की तीन फसली जमीन का चयन कर वाममोर्चा सरकार ने कोई गलती नहीं की थी।

यह भी कितनी क्रूरता है कि अब उद्योग लगाने के लिए किसी को दस-बीस एकड़ जमीन नहीं चाहिए। अब तो किसी को पांच सौ एकड़, किसी को हजार एकड़ चाहिए और कुछ को तो इससे भी अधिक। अब उन्हें वहां सिर्फ कारखाना नहीं लगाना है - रिहायशी भवन, शानदार वातानुकूलित बाजार, हवाई पट्टी, स्वीमिंग पूल, पांच सितारा होटल आदि भी बनाने हैं। उन्हें तो अपना एक औद्योगिक साम्राज्य कायम करना है। इस नए साम्राज्यवाद या इस नई जमींदारी के लिए वे तथाकथित विकास की आड़ में गरीबों का गला घोंटने पर तुले हैं। यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। अगर उद्योग के लिए जमीन चाहिए ही तो उद्योगपति उन क्षेत्रों में जाएं जहां काफी बंजर परती जमीन पड़ी है। उसे विकसित करें और वहां उद्योग लगाएं।

उसी साक्षात्कार में अमर्त्य सेन आगे कहते हैं : ''विश्व के मानचित्र पर पश्चिम बंगाल की पहचान एक औद्योगिक केन्द्र के रूप में रही है। न सिर्फ अंग्रेज, बल्कि पुर्तगाली, डैनिश और फ्लेमिश लोग यहां से माल खरीद कर ले जाते थे और अपने देशों में बेचा करते थे। अंग्रेजों ने भारत में आधिपत्य कायम करने के बाद यहां के परंपरागत उद्योगों को नष्ट किया। लेकिन उसी दौर में जूट जैसे नए उद्योग अस्तित्व में आए। बाद में उनका खात्मा हो गया। आजादी के बाद भी बंगाल के गैर-औद्योगीकरण की यह प्रक्रिया जारी रही। साम्यवादियों की नीतियां भी इसके लिए एक हद तक जिम्मेदार थीं। ट्रेड यूनियन आंदोलनों की वजह से मजदूरों के अधिकारों में तो कुछ वृद्धि हुई, लेकिन उद्योग धंधे ही खत्म हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु इस संकट को समझ रहे थे। फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इस संकट से राज्य को उबारना चाहते हैं। वे यहां एक औद्योगिक आधार बनाना चाहते हैं और वे सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि औद्योगीकरण से ही विकास तेज गति से हो सकता है।''

यहां प्रासंगिक होगा यह बताना कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक 'भारत की खोज' और 'विश्व इतिहास की झलक' में अंग्रेजों के भारत प्रवेश के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए लिखा है कि भारत में उस वक्त कृषि और उद्योग क्षेत्र में संतुलन था। कोई पचास फीसद लोग कृषि व्यवस्था पर निर्भर थे, तो पचास फीसद लोग उद्योग-धंधों पर। सिर्फ बंगाल नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में तरह-तरह के उद्योग-धंधे थे। तरह-तरह का कपड़ा बनता था, मिट्टी, कांसे और पीतल के बर्तन बनते थे, लोहे के औजार बनते थे, चमड़ा उद्योग था, वास्तुकला अपने चरम पर थी। अपनी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन हम खुद करते थे। लेकिन सवाल यह है कि तब उद्योग और कृषि क्षेत्र में टकराव क्यों नहीं था?

उस जमाने के उद्योग और आज के उद्योग में कुछ बुनियादी फर्क है। पहली बात यह कि उन उद्योगों के विस्तार के लिए हजारों कृषकों को विस्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज जैसा टकराव नहीं था। खेती और उद्योग में परस्पर तालमेल था। जब उद्योग समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगते थे। आज उद्योग मुनाफे के लिए लगाए जाते हैं। वे समाज की जरूरतें पूरा नहीं करते। वे तो गैरजरूरी चीजों को तड़क-भड़क के साथ विज्ञापन के जरिए बेचने का वातावरण बनाते हैं। निर्यात की संभावना को देखते हुए उनकी महत्ता तय होती है। देश की जरूरत है अधिकतम साढ़े तीन करोड़ से चार करोड़ टन इस्पात की और एमओयू या सौदा होता है उससे दस गुना अधिक इस्पात उत्पादन के लिए। और इतना इस्पात बनेगा कैसे?देश में उपलब्ध लौह अयस्क भंडार के अंधाधुंध दोहन और यहां के सस्ते श्रम से। और इसकी शुरुआत होगी उन कल-कारखानों के निर्माण से, जिनके बनने के लिए हजारों लोगों को अपने घरबार से उजाड़ना होगा। क्या अमर्त्य सेन औद्योगीकरण के इसी रास्ते के हिमायती हैं?सिंगूर में टाटा की कंपनी का समर्थन वे जिस तरह से करते नजर आये, उससे तो ऐसा ही लगता है।

मगर क्या मौजूदा विकास नीति से यह संभव है कि औद्योगिक क्षेत्र इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दे पायेंगे। क्या यह कठोर वास्तविकता नहीं कि आज भी सत्तर, अस्सी फीसद जनता कृषि क्षेत्र पर ही मूलतः निर्भर है। रोजगार मुहैया कराने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि ही है और उसकी अब तक घोर उपेक्षा हुई है। क्या हमने इस बात का कभी आकलन किया है कि औद्योगिक प्रदूषण से अब तक कितनी कृषि योग्य भूमि को हमने बंजर बना दिया है, किन-किन नदियों को औद्योगिक कचरे से पाट दिया है?रही-सही कृषि योग्य जमीन पर भी हम कारखाने लगा देंगे तो खेती पर निर्भर जनता का क्या होगा?

उपजाऊ जमीन पर ऐसे उद्योग स्थापित करन में उन्हें कोई हर्ज नहीं दिखता। उनका यह तर्क कितना खतरनाक है, इसे हम झारखण्ड के संदर्भ में देख सकते हैं।

झारखंड के पास 79 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। इसमें खेती होती है सिर्फ 23 लाख हेक्टेयर पर। और इस कुल उपलब्ध खेती योग्य जमीन के 66 फीसद पर धान की खेती होती है। अब अगर यहां की खनिज संपदा को ध्यान में रखते हुए जो सैकड़ों सौदे, एमओयू हुए हैं, वे सारे के सारे जमीन पर उतर जाएं तो यहां की पूरी आबादी ही उजड़ जायेगी। यह स्थिति सिर्फ झारखण्ड की नहीं, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ की भी है। पश्चिम बंगाल के भी कूचबाकुड़ा, पुरुलिया आदि जिले भयानक रूप से विपन्न बन गए हैं, बना दिए गए हैं। यहां आज खेती योग्य सिंचित जमीन का घोर अभाव है।

जो क्षेत्र आज खेती की दृष्टि से विकसित नजर आते हैं, वे भी हमेशा से वैसे नहीं थे। वहां रहने वाले लोगों ने उस क्षेत्र को विकसित किया, परती या जंगल-झाड़ से पटी जमीन को साफ कर खेती लायक बनाया। कलिंगनगर में टाटा कंपनी एक बड़ा उद्योग लगाने जा रही है। यहां हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। वहां के आदिवासी किसी जमाने में झारखंड से ही उस क्षेत्र में ले जाए गए थे। उन लोगों ने कड़ी मेहनत से उस इलाके का विकास किया और खेती लायक जमीन तैयार की थी। अब एक दिन आप लाव-लश्कर लेकर पहुंच जाएं कि हम वहां कारखाना लगायेंगे और इसके लिए तुम जमीन छोड़ दो, तो यह कहां तक न्याय संगत है?

यह सब्जबाग दिखाया जाता है कि उद्योग धंधों से ही विकास होगा। मगर कैसे?आजादी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में दर्जनों कल-कारखाने लगे। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो जैसे नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। ये सभी हाहाकार करती गरीबी के बीच अपने-अपने राज्यों में समृद्धि के द्वीप हैं। लेकिन इन शहरों में आदिवासी मूलवासी कितने रह गए हैं?और अब जो उद्योग लगने वाले हैं वे सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि उस निजी क्षेत्र में लग रहे हैं, जिनका चेहरा और भयावह है। और क्या वास्तव में वे उतना रोजगार पैदा करने वाले हैं, जितने का सब्जबाग दिखाया जाता है?सार्वजनिक क्षेत्र के चालीस लाख टन उत्पादन क्षमता वाले बोकारो इस्पात संयंत्र में बावन हजार लोगों को नियमित रोजगार मिला था। अब इतनी ही क्षमता का निजी इस्पात कारखाना चार हजार लोगों को भी नौकरी देने की कूवत नहीं रखता।

शेष पृष्ठ 10 पर

thearyasamaj.org

धीमा ज़हर है - कोल्डड्रिंक

अधिक मात्रा में कोल्डड्रिंक पीने से मृत्यु भी हो सकती है

कोलाब्राण्ड के कोल्डड्रिंक में कैफीन डाला जाता है जो अधिक मात्रा में लेने पर बेचैनी, अनिद्रा व सिरदर्द पैदा करता है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अमरीका व यूरोप में 88ppm से कम कैफीन डालती है जबकि भारत में 111ppm तक कैफीन उपयोग करती है। जाँच करने पर कोल्डड्रिक में कई अन्य जहरीले रसायन भी पाये गये, जैसे- आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक, सोडियम ग्लूटामेट, पोटैशियम सोरबेट, मिथाइल बेंजीन, ब्रोमिनेटेड बेजिटेबल ऑयल इत्यादि। विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) ने कोल्डड्रिंक को 'धीमा ज़हर' घोषित किया है।

किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् अग्निदाह में देशी घी डाला जाता है जिससे पूरा शरीर जल जाता है व हड्डियाँ भी जल जाती हैं परन्तु दाँत बिल्कुल नहीं जलते। इसी तरह, यदि दाँत को मिट्टी में गाड़ दें व 20 साल के बाद निकालें तो भी दाँत बिल्कुल नहीं गलते हैं।

जिस दाँत को घी की आग नहीं जला सकती, मिट्टी नहीं गला सकती है यदि उस दाँत को किसी भी कोल्डड्रिंक में डाला जाये तो ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में वह दाँत पूरा घुल जाता है तथा छानने पर भी दिखाई नहीं देता।

कारण-कोल्डड्रिंक में फास्फोरिक एसिड (तेजाब) नामक जहर होता है, जो मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर अंग यानि दाँत को ही नहीं बल्कि दुनियाँ की अधिकतर वस्तुओं, यहाँ तक कि लोहे को भी पूरी तरह से खा जाता है। अब आप सोचिए कि कोल्डड्रिंक पीने पर यह शरीर के कई नाजुक अंगों के सम्पर्क में आता है तो उनका क्या हाल होता होगा। चूँकि कोल्डड्रिंक में बहुत पानी होता है इसलिए इसका असर धीमे-धीमे होता है व तत्काल दिखाई नहीं देता है।

अहमदाबाद स्थित कंज्यूमर एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर द्वारा जाँच करने पर कोल्डड्रिंक में कार्बोलिक एसिड एरियारबिक एसिड व बेंजोइक एसिड नामक तेजाब भी पाये गये हैं। रसायन विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी जानता है कि किसी भी एसिड की तीव्रता PH पेपर से पता की जा सकती है PH7 जितनी कम होगी, एसिड उतना तीव्र होगा। कोल्डड्रिंक की PH तीव्रता लगभग 2.4 होती है। इसी कारण कोल्डड्रिंक पीने पर गले व पेट में जलन, डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन तथा एसिडिटी हो जाती है। ध्यान रहे कि कई फलों व सब्जियों जैसे नारंगी, नींबू, कैरी में भी एसिड होते हैं लेकिन प्राकृतिक रूप में होने से शरीर में जाकर वे क्षार में बदल जाते हैं तथा शरीर की एसिडिटी कम करने का कार्य करते हैं जबकि कोल्डड्रिंक में एसिड कृत्रिम रूप में होने के कारण खतरनाक होते हैं।

घर में संडास साफ करने में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की PH तीव्रता कोल्डड्रिंक के बराबर है। क्या ऐसे कोल्डड्रिंक को पीना चाहिए या ......?जरा सोचिए!!!

शरीर विज्ञान के अनुसार हर प्राणी सांस के माध्यम से हवा में विद्यमान ऑक्सीजन (प्राण वायु) लेता है तथा शरीर में उत्पन्न कार्बन डाई ऑक्साईड (CO_2) नामक जहरीली गैस बाहर निकाल देता है। हर कोल्डड्रिंक में CO_2 डाली जाती है जिससे यह लम्बे समय तक खराब न हो। कोल्डड्रिंक पीने पर शरीर इसे नाक व मुँह के माध्यम से वापस बाहर निकाल देता है। यदि कभी गलती से बाहर न निकल पाये तो मृत्यु निश्चित है।

हाल ही में सरकार ने कानून बनाया है कि गाड़ियों में सिर्फ सीसा रहित (अनलीडेड) पेट्रोल ही उपयोग किया जाए क्योंकि सीसा इंजन में जलता नहीं है व धुएँ के साथ बाहर निकलकर हवा को प्रदूषित करता है। हवा में सीसे की मात्रा 0.2ppm से अधिक होने पर लोगों द्वारा इसमें सांस लेने पर यह स्नायुतंत्र, मस्तिष्क, गुर्दो, लीवर व मांसपेशियों के लिए घातक होता है।

कोकाकोला व पेप्सीकोला दोनों अमरीका की कम्पनियाँ हैं तथा वहाँ अधिक जागरूकता के कारण बेचे जाने वाले कोल्डड्रिंक में 0.2ppm से कम सीसा डाला जाता है जबकि इन्हीं बेईमान कम्पनियों द्वारा भारत में ''सब चलता है'' की तर्ज पर कोल्डड्रिंक में 0.4ppm सीसा डाला जाता है।

कोलाब्राण्ड के कोल्डड्रिंक में कैफीन डाला जाता है जो अधिक मात्रा में लेने पर बेचैनी, अनिद्रा व सिरदर्द पैदा करता है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अमरीका व यूरोप में 88ppm से कम कैफीन डालती है जबकि भारत में 111ppm तक कैफीन उपयोग करती है। जाँच करने पर कोल्डड्रिक में कई अन्य जहरीले रसायन भी पाये गये, जैसे- आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक, सोडियम ग्लूटामेट, पोटैशियम सोरबेट, मिथाइल बेंजीन, ब्रोमिनेटेड बेजिटेबल ऑयल इत्यादि। विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) ने कोल्डड्रिंक को 'धीमा ज़हर' घोषित किया है।

गौरतलब है कि एस्परटेम से बच्चों में ब्रेनहेम्रेज (मस्तिष्कघात) होकर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बोतल/केन पर चेतावनी लिखी है कि बच्चे इस्तेमाल न करें।

डॉक्टर्स के अनुसार कोल्डड्रिंक में पौष्टिक तत्व बिल्कुल नहीं है। यानि इसमें शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, कैल्शियम व फास्फोरस में से कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दूध औषधीय गुणधर्म वाला पौष्टिक, सुपाच्य व सम्पूर्ण आहार है तथा सिर्फ इसको पिलाने से बच्चे के शरीर का पूर्ण विकास होता है।

कीमत - कोल्डड्रिंक - 10/- रुपये 300 मिली. बोतल 33/- रुपये लीटर (फैक्ट्री लागत 70 पैसे/बोतल) .... दूध - अधिकतम 38/- रुपये प्रति लीटर।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हजारों वर्षों से दूध की नदियों की संस्कृति वाले हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में आम मानसिकता इतनी विकृत हुई है कि आधुनिकता व स्टेट्स के भ्रम में लोग दूध से दोगुना से ज्यादा मंहगा तथा कई जहरीले रसायनों वाला कोल्डड्रिंक जीवन जल समझकर गटागट पी ही नहीं रहें हैं बल्कि देवता स्वरूप अतिथि को पिला भी रहे हैं।

एक 300 मिली. कोल्डड्रिंक की बोतल धोने में लगभग 10 लीटर पानी खर्च होता है। जिस देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी 2 लाख गाँवों यानि 33 करोड़ जनसंख्या यानि हर तीन में से एक व्यक्ति को पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होता है, उस देश में कोल्डड्रिंक पीने से बड़ा कोई और पाप नहीं है। जरा सोचिए!!!

ये दोनों कम्पनियाँ सांठगांठ करके सारी कोल्डड्रिंक की एक ही कीमत रखती है। कोल्डड्रिंक में 1000 प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा होने के कारण बिक्री बढ़ाने के लिए ये कम्पनियाँ करोड़ों रुपये खर्च करके फिल्मी सितारों व खिलाड़ियों के विज्ञापन सभी टी. वी. चैनलों, अखबारों व पत्रिकाओं में बार-बार देती है। इनसे बड़ा खेलों व फिल्मों का प्रायोजक पूरी दुनियाँ में कोई नहीं है। ये नये-नये व लुभावने व सेक्सी विज्ञापनों द्वारा लोगों के मस्तिष्क को पंगु बनाकर पश्चिमी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा मन में कामेच्छा जगाती है।

दुर्भाग्य इस देश का कि कंगाली का रोना रोने वाली सरकार ने जहाँ एक ओर गरीबों को मिलने वाले राशन के अनाज की कीमत डेढ़ गुनी कर दी है वहीं दूसरी ओर इस जहरीले पानी पर एक्साइज ड्यूटी 8 प्रतिशत घटा दी है।

अतः बहिष्कार करें - पेप्सी, लहर, 7अप, मिरिण्डा, रश, कोक, स्प्राईट, थम्सअप, लिम्का, गोल्डस्प्राइट का।

और सेवन करें - ताजे फलों का रस, मिल्क शेक, नारियल पानी, कैरी पानी, नींबू की शिकन्जी, दूध, दही, लस्सी, जलजीरा, ठंडाई, चंदन, रुहआफज़ा, रसना, डाबर फ्रूटी, पारले फ्रूटी गोदरेज जम्पिन आदि का सेवन करें।

- श्री मनोहर लाल छावड़ा के सौजन्य से
(सुमंगलम् संस्था द्वारा जनहित में प्रकाशित)

मानवीय सर्वांगीण विकास एवं आत्मज्ञान शिविर

शिविर स्थल :- अग्निलोक, ग्राम-बहलपा, तहसील-सोहना, जिला-गुड़गांव (हरि.)

दिनांक : 1 से 6 जुलाई, 2014

मनुष्य का शरीर ईश्वर की ऐसी अद्भुत रचना है जिसमें आत्मा के साथ सामाजिक उन्नति करने वाली शक्तियाँ भी निहित हैं जो समुचित वातावरण न मिलने के कारण सुप्त प्रायः रहती हैं। जिसके कारण समाज में विभिन्न प्रकार की अमर्यादित शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं और समाजसेवी लोग चाहते हुए भी उनसे समाज को मुक्त नहीं करा पाते।

इसी तथ्य को ध्यान में रखकर ऋषियों मुनियों एवं वेदों की बताई पद्धति को अपनाकर सच्चरित्र मनुष्यों के भीतर सोई उस सत्यानुगामिनी बलवती शक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें ध्यान–साधना एवं आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मानव की आन्तरिक क्षमता एवं योग्यता को जागृत करने वाले प्रेरक प्रस्तुत किये जायेंगे। जिसमें शिविरार्थी अपनी योग्यता और क्षमता को समझकर उसे समाज के उत्थान में लगा सकेगें।

प्रथम शिविर 1 जुलाई, 2014 से 6 जुलाई, 2014 तक आयोजित किया जा रहा है। तत्पश्चात् भी निरन्तर शिविर लगेंगे जिनकी तिथियों की सूचना शिविरार्थियों को पत्र अथवा ईमेल द्वारा दे दी जायेगी।

शिविरार्थी महानुभाव को 1 जुलाई को अपरान्ह 3 बजे तक शिविर स्थल पर पहुँचना होगा। इस शिविर में आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क होगी। इसमें संख्या सीमित है अतः शिविर में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति शीघ्र सम्पर्क करें।

आपके आवेदन के अनुसार आपको शिविर सम्बन्धी और मार्ग सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी शीघ्र प्रदान कर दी जायेगी।

विशेष – शिविर की समयावधि तक सभी शिविरार्थियों को दिन–रात (महिला शिविरार्थिनियों के लिये समुचित आवास व्यवस्था अलग होगी) सम्पूर्ण समय शिविर स्थल पर ही रहना होगा।

आयोजक
स्वामी अग्निवेश
ईमेलः agnivesh70@gmail.com

प्रशिक्षक
डा० ओमदत्त आचार्य
info@vishvamaryam.com
मो. 09654064998

मासूम गिरोहों की दिल्ली

...गतांक से आगे

– प्रियंका दुबे

स्टेशन पर रहने वाले सैकड़ों मासूम बच्चों का बचपन इन आपराधिक गिरोहों के कभी न खत्म होने वाले दुष्चक्र में तो खत्म होता ही है कभी-कभी तेज रफ्तार ट्रेनों से कटकर भी खत्म हो जाता है। 11 अप्रैल, 2011 को 10 वर्षीय पेटू पटरियों पर बोतलें बीनते-बीनते अचानक एक ट्रेन के नीचे आ गया था, स्टेशन पर रहने वाले बच्चों के योजनाबद्ध पुनर्वास के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वाली समाजशास्त्री खुशबू जैन बच्चों के साथ जारी सख्त पुलिसिया रवैये को खारिज करते हुए कहती है, 'इस मामले को जब भी उठाया जाता है पुलिस तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बच्चों को स्टेशनों से मारकर भगा देती है। यह तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि पहले तो बच्चों के साथ किसी भी तरह की हिंसक जोर-जबरदस्ती कानून के खिलाफ है, दूसरी बात बच्चों को स्टेशनों से भगाना कोई समाधान नहीं है क्योंकि वे कुछ दिनों बाद यहां वापस आ जाते हैं, उनको धीरे-धीरे स्टेशनों के आस-पास ही पुनर्वासित करना होगा, उन्हें आस-पास ही रोजगार और शिक्षा के विकल्प देकर धीरे-धीरे मुख्यधारा में लाना होगा।

– प्रियंका दुबे

रेलवे स्टेशन गैंग :- सिर्फ कबाड़ के व्यापार में लगे अपराधी और शहर के लालबत्ती चौराहों पर चोरियां कराने वाला आपराधिक नेटवर्क ही राजधानी के बच्चों को अपराध के दुष्चक्र में धकेलने के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रोजाना उतरने वाले दर्जनों मासूम बच्चे कब और कैसे यहां रोज पनपने और टूटने वाले आपराधिक गिरोहों का हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें भी पता नहीं चल पाता, राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले बच्चों की जिन्दगियों में फैले अपराध की जड़ें टटोलने के लिए जब तहलका ने ऐसे तमाम बच्चों से बात की तो अंदर तक झकझोर देने वाली एक बेहद स्याह तस्वीर उभर कर सामने आई।

एक उमस भरी दोपहर को हमारी मुलाकात शादाब से होती है। 14 साल का शादाब राजधानी के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे मौजूद निजामुद्दीन दरगाह के सामने बने फुटपाथ पर बैठा है। वह अपने कान, नाक और होठों पर मौजूद मवाद भरे घावों को खुजाकर खुद को थोड़ा आराम देने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वह हमसे बात करने को राजी हो जाता है। शादाब सात साल की उम्र में पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र से दिल्ली आया था। अपने घर से दिल्ली आने और नशाखोरी, ब्लेडबाजी और चोरियों में शामिल एक आपराधिक गिरोह का हिस्सा बनने तक की यात्रा के बारे में वह कहता है, ''हम अपने मामा के संग गांव से पढ़ने दिल्ली आए थे, लेकिन मामा ने पंचर बनाने की दुकान पर लगवा दिया, कुछ दिन वहां काम किया फिर दिल नहीं लगा तो भाग के स्टेशन आ गया, फिर यहां दूसरे लड़के मिल गए और मैं यहीं रहने लगा, हम फेरी मारकर और चोरी करके अपना काम निकालते और पैसा मिलते ही नशा खरीदते, फिर यहां से मैं बटरफ्लाई (स्टेशन पर रहने वाले बच्चों पर काम करने वाली एक सामाजिक संस्था) गया, वहां कुछ दिन रहा लेकिन अच्छा नहीं लगा तो वापस भाग कर स्टेशन आ गया।

बेपटरी जिंदगी रेलवे स्टेशनों पर बच्चों के अलग-अलग गैंग होते हैं

अपने आपराधिक गिराहों के बारे में बताते हुए वह आगे जोड़ता है, 'दीदी, स्टेशन पर हम किसी का पर्स मार लेते हैं, सामान छीन कर भाग जाते हैं और कभी-कभी मोबाइल, गहने या छोटी गाड़ियां भी चुराते हैं, बाकी लड़के इस पैसे से नशा करते हैं, मैं तो सिर्फ फ्लूइड पीता हूं, बाकी मैंने छोड़ दिया।

शादाब आगे बताता है कि स्टेशन पर मौजूद आपराधिक गिरोह बच्चों का यौन शोषण भी करते हैं, यहां पर बड़े लड़के जो पहले से स्टेशन पर रहते हैं वो छोटी लड़कियों और लड़कों के साथ भी गलत काम करते हैं, कई बार पीछे आखिर में खड़ी ट्रेनों के खाली डब्बों में बने टॉयलेट्स में ले जाकर ये लड़के छोटे बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, कई बार तो गुम होकर स्टेशन पर भटक जाने वाले छोटे-छोटे लड़कों के साथ पहले ही दिन बड़े लड़के गलत काम करते हैं, फिर वे छोटे बच्चे उन्हीं लड़कों की गैंग में शामिल हो जाते हैं, स्टेशन पर लड़कों के गैंग बंटे होते हैं न, हर गैंग का चोरी करने और बोतल बीनने का एरिया अलग होता है और नए बच्चों को किसी न किसी गैंग का हिस्सा तो बनना ही पड़ता है वर्ना वो यहां नहीं रह सकता। 'फिर अपने दोस्तों के साथ स्टेशन वापस जाने की जल्दी में हमसे विदा लेते हुए शादाब सिर्फ इतना कहता है, मेरे घरवालों ने इतने सालों मेरी कोई पूछ-परख नहीं ली। तो अब स्टेशन पर ही अच्छा लगने लगा है, यहीं रहता हूं ओर सोचता हूं शायद यहीं रह जाऊँगा।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर छह और सात के आखिरी छोर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर लोहे की एक जालीनुमा दीवार के दूसरी तरफ स्टेशन पर रहने वाले लगभग 10 बच्चों से हमारी मुलाकात होती है। फरीदाबाद, लखनऊ, पश्चिम बंगाल, मुजफ्फरनगर से लेकर बिहार के मोतिहारी और दरभंगा जिले से दिल्ली आए ये बच्चे 12 से 17 साल की उम्र के हैं, इनमें से ज्यादातर गरीबी, भुखमरी और परिवारवालों की पिटाई के चलते अपने-अपने घरों से भाग कर दिल्ली आए थे। कुछ को उनके रिश्तेदार बहला-फुसला कर मजदूरी करवाने दिल्ली लाये थे तो कुछ अपने ही परिचितों के हाथों बेंचे गये। मजदूरी करवाने वाले दुकानदारों और अपनी गिरफ्त में रखने वाले तस्करों के चंगुल से भागकर जब बच्चे स्टेशन पहुंचते तो यहां पहले से मौजूद आपराधिक गिरोह उन्हें अपने अपराध के दलदल में धकेल देते।

तहलका से विस्तृत बातचीत के दौरान 14 वर्षीय किशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद आपराधिक गिरोहों के बारे में जानकारी देते हुए कहता है, 'दीदी, छुटुआ के जाने के बाद यहां रंजीत और सोनू बिहारी के गिरोह काम करते हैं। यही लोग नए और छोटे बच्चों को चोरी-चकारी सिखाते हैं। चलती ट्रेन पर चढ़ना, सामान उड़ाना और फिर बड़ी चोरियां करना भी, सोनू बिहारी वाले बड़े बच्चों का गिरोह शीलापुल के नीचे रहता है और उसके पीछे वाले एरिया में ही चोरी करता है, जबकि दूसरा ग्रुप 13-14 और 6-7 नंबर पर रहकर काम करता है, लगभग दो घंटे की बातचीत के बाद बच्चे धीरे से शादाब की तरह ही हमें यह भी बताते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रहने वाले बड़े उम्र के बच्चे छोटे बच्चों का शारीरिक शोषण भी करते हैं। 11 साल का धीरज और 16 वर्षीय जतिन बताते हैं, 'यहां बच्चों के साथ बहुत गलत काम भी होता है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों के करते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के साथ, वहीं उन्हें अपने साथ रखते हैं, उन्हें बोतल बीनना और चोरी करना सिखाते हैं, उनसे भीख भी मंगवाते हैं और उनकी कमाई भी रख लेते हैं, अभी भी स्टेशन पर जो मेंटल नाम का आदमी रहता है, वह अपने साथ रहने वाले दो छोटे लड़कों के साथ रोज गलत काम करता है।

अगर निजामुद्दीन स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पर लंबे समय तक रहने के बाद अभी एक सामाजिक संस्था से जुड़े अंकित के शब्दों में, 'यहां एक गैंग सूर्या और उसके लड़कों का है जो स्टेशन के पीछे बनी पानी की टंकी के पास रहता है, उसके गिरोह में लगभग 20 लड़के हैं, वो बच्चों को बोतल बीनने के साथ-साथ लोहा, कबाड़ी औ यात्रियों के सामान चोरी करना भी सिखाता है। जो नए बच्चे जरा भी समझदार या तेज होते हैं, उन्हें वह अपने साथ ही रखता है, दूसरा गिरोह गोलू और अनिल का है। ये लोग सराय काले खां से सटे प्लेटफर्मों के आखिरी छोर पर रहते हैं, अनिल और गोलू के लड़के 7, 8 और 5 नंबर प्लेटफार्म के साथ-साथ सराय काले खां की बस्ती में सक्रिय रहते हैं जबकि 4, 3, 2 और 1 नंबर सूर्या का इलाका है, इसके साथ ही सूर्या का गैंग दरगाह और टैक्सी स्टैंड के पूरे क्षेत्र में भी सक्रिय रहता है। साथ ही इन बच्चों के लिए यहां सराय काले खां के पीछे बने बाजार में छोटी-छोटी चाय की दुकानें हैं, रेलवे पुलिस को भी सब पता है लेकिन कोई कुछ नहीं करता।

दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रहने वाले बच्चों के साथ लंबे समय से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संजय गुप्ता राजधानी के स्टेशनों पर सक्रिय बच्चों के गिरोहों को स्टेशन के जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहते हैं, बच्चे अकसर रेलवे स्टेशनों पर इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि यह शेष पृष्ठ 10 पर

thearyasamaj.org

अल्पसंख्यक की परिभाषा पर सवाल

– डॉ. विशेष गुप्ता

नवगठित मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने बहुसंख्यक–अल्पसंख्यक वर्गीकरण पर महत्वपूर्ण बयान देकर देश में नई बहस का आगाज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि संख्या के आधार पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, बल्कि पारसी या यहूदी समुदाय ही वास्तव में अल्पसंख्यक हैं। ध्यान रहे कि इस समय देश की कुल आबादी में तकरीबन 18 फीसद मुस्लिम हैं, जबकि पारसियों की संख्या 69 हजार तो यहूदी महज पांच हजार के करीब ही हैं। देश में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, दूसरी ओर आबादी में पारसी लगातार घट रहे हैं। नजमा ने यह भी साफ कहा है कि आरक्षण से मुस्लिमों का भला नहीं होने वाला है। उनका मानना है कि धार्मिक आरक्षण जहां संविधान की मूल आत्मा पर चोट करता है, वहीं प्रतिस्पर्धा की भावना का भी उल्लघंन करता है। देवबंद की संस्था दारुल–उलूम ने नजमा हेपतुल्ला के धार्मिक आरक्षण से जुड़े बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तथा वक्फ से जुड़ी संपत्ति पर भी सरकार का विचार स्पष्ट करने की बात कही है। इसके अलावा इस विषय पर अनेक मुस्लिम संगठनों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है।

नजमा का बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। इस चुनाव में यह तिलिस्म टूट गया है कि सरकार बनाने की चाबी मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में है। उन चुनाव क्षेत्रों में भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सके जहां मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक थे। इसलिए यही वह उपयुक्त समय है जब देश में सभी भारतीयों को समान मानने की नीति तथा अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक की परिभाषा पर बहस हो।

गौरतलब है कि भारतीय संविधान में माइनॉरिटी (अल्पसंख्यक) शब्द का प्रयोग तो किया गया है, परंतु उसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। यही वजह है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा को हम या तो समय–समय पर की जाने वाली न्यायिक घोषणाओं के हिसाब से मानते हैं अथवा इसके लिए समाज वैज्ञानिकों के अध्ययनों व व्याख्याओं का सहारा लेते हैं। शब्दकोष भी बताते हैं कि अल्पसंख्यक वह है जो पूरी संख्या के मुकाबले आधे से कम है। परंतु मानवाधिकारों के संदर्भ में अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या पर आधारित समूह के अर्थ में ही प्रयोग नहीं होता। अब यह शब्द किसी राज्य व समाज में प्रभुताविहीन तथा वंचित समूह के लिए भी प्रयोग होने लगा है। आजादी के बाद कई सरकारों ने केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए हमेशा उन्हें राज्य व समाज की शक्ति संरचना व सत्तात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण माना व अपने हित में इनका बहुविध प्रयोग भी किया। इन्हीं वजहों से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। राजनीतिक पक्षपात के चलते ही देश की आजादी के 67 साल बाद आज अल्पसंख्यक समूहों को पुनः परिभाषित करने की जरूरत महसूस हो रही है।

अल्पसंख्यकों के बारे में दिए गए उक्त बयान के पीछे कुछ मजबूत तर्क हैं। पहला यह कि अल्पसंख्यक समुदाय अभी तक केवल गणितीय आधार पर ही परिभाषित है। यह आधार बताता है कि आबादी यदि पचास फीसद से कम है तो वह समूह अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएगा। फिर उसके बाद आबादी के आकार का मसला मायने नहीं रखता। दूसरे, एक धार्मिक अल्पसंख्यक समूह यदि अपने ईष्ट व धार्मिक विश्वासों के आधार पर परिभाषित किया जाता है तो इस आधार पर हिंदू तो अनेक धार्मिक अल्पसंख्यक समूह में गिने जाएंगे। तीसरे, अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण उनकी अपनी संख्या और संस्कृति की सुरक्षा तथा उनमें अंतर्निहित योग्यता और गुणों के आधार पर होना चाहिए। सच यह है कि मुस्लिम समुदाय ने देश की आबादी में अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाया है। इसलिए उनकी आबादी इंडोनेशिया के बाद सर्वाधिक भारत में है। साफ है कि भारत में मुस्लिम समुदाय को शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण उनके अल्पसंख्यक होने के नाते नहीं, बल्कि उन्हें अन्यों के मुकाबले इस दौड़ में पिछड़े रह जाने के कारण मिलना चाहिए।

देश में यदि अल्पसंख्यकों की गणना संख्यात्मक आधार पर की जाती रही तो अल्पसंख्यक समूह घोषित करने में तमाम दुश्वारियां [illegible] इन्हीं वजहों के कारण अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री को साफ शब्दों में कहना पड़ा कि देश की सवा अरब की आबादी में तकरीबन 20 करोड़ मुस्लिमों की आबादी को अल्पसंख्यक कहना उचित नहीं है। तथ्य यह भी है कि देश के कई शहरों में अन्य समूहों की तुलना में मुस्लिम आबादी ही बहुसंख्यक है। साथ ही वहां वे शिक्षा, रोजगार व जीवनस्तर के लिहाज से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए कहना न होगा कि अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों की अवधारणा स्थान सापेक्ष है। उन्हें धर्म व भाषा के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के अंदर ही शिया व अहमदिया जैसे कई अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनके अपने–अपने संदर्भ हैं। तथ्य बताते हैं कि अनेक स्थानों पर अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक का ढांचा वहां के भूगोल व लोगों की संख्या के आधार पर निश्चित होता है। मसलन उत्तर–पूर्व व कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। साथ ही केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व असम जैसे प्रदेशों के कुछ भागों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। संभवतः इस सामाजिक व संख्यात्मक विभिन्नता को देखते हुए भारत जैसे देश में अल्पसंख्यकों से जुड़ा मुद्दा अतार्किक हो जाता है। तथ्यात्मक पड़ताल बताती है कि एक निश्चित सामाजिक व भूगोलीय संदर्भ में एक अल्पसंख्यक समुदाय दूसरे हिस्से में बहुसंख्यक बन जाता है। इसलिए सभी को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक सुरक्षा के साथ– साथ समान अधिकार प्रदान करने के लिए नागरिकों की एकल स्थिति अथवा एकल समूह को गणना का आधार बनाया जाना चाहिए। देश में एकल नागरिक या समूह ही वह इकाई है जिसके आकलन से यहां उनके साथ किए जा रहे भेदभाव व विषमता के साथ–साथ गरीबी की मूल जड़ों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों की गणना करना बहुत जटिल इसलिए भी है क्योंकि इस आधार पर सरकारें ईमानदार हो ही नहीं सकतीं। धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का गणनात्मक प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तो किया जा सकता है, परंतु इससे उनकी वास्तविक स्थिति में भी कोई सुधार होगा यह कहना बहुत मुश्किल है।

देश की आजादी के बाद सोचा गया था कि एक ऐसी नवसंरचना विकसित होगी जहां जाति व धर्म से जुड़े दुराग्रह व अस्मिताएं नष्ट हो जाएंगी। परंतु आजादी के 67 सालों बाद भी जाति व धर्म आधारित आरक्षण का मसला आज भी जस का तस खड़ा है। वंचित व पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने का समाज कभी भी विरोधी नहीं रहा। परंतु अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, धर्म, जाति व आरक्षण से जुड़ी परिभाषाएं जब समाज से हटकर सत्ता के हक में जाने लगती हैं तो समाज को समरस बनाने की संकल्पनाएं ध्वस्त होने लगती हैं। देश में यदि समरस समाज बनाना है तो हमें सत्ता हित में प्रयोग होने वाले धर्म व जाति के बिंबों को कमजोर करते हुए संविधान सम्मत 'अवसर की समता' के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था को पुष्ट करना पड़ेगा।

(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं)

– राष्ट्रीय सहारा से साभार

देश की आजादी के बाद सोचा गया था कि एक ऐसी नवसंरचना विकसित होगी जहां जाति व धर्म से जुड़े दुराग्रह व अस्मिताएं नष्ट हो जाएंगी। परंतु आजादी के 67 सालों बाद भी जाति व धर्म आधारित आरक्षण का मसला आज भी जस का तस खड़ा है। वंचित व पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने का समाज कभी भी विरोधी नहीं रहा। परंतु अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, धर्म, जाति व आरक्षण से जुड़ी परिभाषाएं जब समाज से हटकर सत्ता के हक में जाने लगती हैं तो समाज को समरस बनाने की संकल्पनाएं ध्वस्त होने लगती हैं। देश में यदि समरस समाज बनाना है तो हमें सत्ता हित में प्रयोग होने वाले धर्म व जाति के बिंबों को कमजोर करते हुए संविधान सम्मत 'अवसर की समता' के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था को पुष्ट करना पड़ेगा।

हापुड़ में प्रथम बार युवक चरित्र निर्माण /व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण

आर्य उपप्रतिनिधि सभा हापुड़ द्वारा प्रथम बार युवक चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 16 जून से 22 जून, 2014 तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमें 13 से 23 वर्ष के युवकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। जिसके माध्यम से युवकों को सन्ध्या, यज्ञ, वेद ज्ञान के साथ-साथ आसन, जूडो कराटे, लाठी एवं आत्मरक्षा के उपाय सिखाये जायेंगे। मीडिया प्रभारी वेद मित्र आर्य वंधु ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक युवक 10 जून तक अपना शुल्क 100/- रुपये जमा कर प्रवेश स्वीकृति सुनिश्चित करा लें। शिविरार्थी अपने साथ दो जोड़ी वस्त्र, एक लाठी कंधे तक, एक डायरी, एक पेन, एक थाली, एक गिलास, दो कटोरी, एक चम्मच आदि साथ लायें। भोजन, आवास प्रशिक्षण व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। दानी महानुभावों के सहयोग की अपेक्षा है।

शिविर स्थान :- स्वामी विवेकानन्द लॉ कालिज, जरौठी, गढ़ रोड, हापुड़।

– वेद मित्र आर्य बंधु, 1092 त्यागी नगर हापुड़

thearyasamaj.org

पृष्ठ–4 का शेष

भूमकाल : बस्तर का मुक्ति संग्राम

बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के गुंडाधूर नें भूमकाल विद्रोह के लिये आदिवासियों को संगठित करना आरंभ किया। सभी वर्तमान शासन से त्रस्त थे फलतः संगठन स्वस्फूर्त बढता चला गया।

गुंडा धुर की तलाश में

दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो. नंदिनी सुन्दर

उपरोक्त सभी परिस्थितियां एक साथ मिलकर भूमकाल विद्रोह की भूमिका रच रहे थे। बारूद तैयार था और उसमें आग लगाने की देरी थी और यह काम किया लाल कालेन्द्र सिंह, कुंअर बहादुर सिंह, मूरत सिंह बख्शी, बाला प्रसाद नाजीर के साथ में थी रानी सुबरन कुंअर। इन सभी नें मुरिया एवं मारिया व घुरवा आदिवासियों के हृदय में अंग्रेजी हुकूमत प्रत्यक्षतः पंडा बैजनाथ के विरूद्ध नफरत को और बढाया एवं इस नफरत नें माडिया नेता बीरसिंह बेदार और घुरवा नेंता गुंडाधूर को विप्लव की नेतृत्व सौंप दी ।

डॉ. हीरालाल शुक्ल अपनी किताब 'छत्तीसगढ के जनजातीय इतिहास' में लिखते हैं कि क्रांति के प्रतीक के रूप में गुंडाधूर के कटार को पूरे बस्तर में घुमाया गया, जहां वो कटार जाता था जन समूह गूंडाधूर के समर्थन में साथ देते थे। यह कटार सुकमा के जमीदार के दीवान जनकैया के पास से आगे नहीं बढ पाया क्योंकि वह अंग्रेजों का चापलूस था।

बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के गुंडाधूर नें भूमकाल विद्रोह के लिये आदिवासियों को संगठित करना आरंभ किया। सभी वर्तमान शासन से त्रस्त थे फलतः संगठन स्वस्फूर्त बढता चला गया। इस संबंध में अपने पुस्तक 'बस्तर इतिहास व संस्कृति' में लाला जगदल पुरी बतलाते हैं कि गुंडाधूर नें इस क्राति का प्रतीक आम के डंगाल पर लाल मिर्च को बांध कर तैयार किया 'डारा मिरी'। यह 'डारा मिरी' आदिवासियों के मंजरा, टोला, गांवों में भरपूर स्वागत होता एवं आदिवासी इस क्राति की स्वीकृति स्वरूप इस 'डारा मिरी' को आगे के गांव में ले जाते थे।

इस पर बस्तर के एक और विद्वान जो इन दिनों भोपाल में रहते हैं एवं बस्तर विषय पर ढेरों किताबें लिखी हैं, डॉ. हीरालाल शुक्ल अपनी किताब 'छत्तीसगढ के जनजातीय इतिहास' में लिखते हैं कि क्रांति के प्रतीक के रूप में गुंडाधूर के कटार को पूरे बस्तर में घुमाया गया, जहां वो कटार जाता था जन समूह गूंडाधूर के समर्थन में साथ देते थे। यह कटार सुकमा के जमीदार के दीवान जनकैया के पास से आगे नहीं बढ पाया क्योंकि वह अंग्रेजों का चापलूस था।

उसने इस विद्रोह के बढते चरणों की सूचना अंग्रेजी हुकूमत को भेज दी तब तक लगभग 13 फरवरी 1910 तक राजधानी जगदलपुर सहित दक्षिण पश्चिम बस्तर का संपूर्ण भू भाग गुंडाधुर के समर्थकों के कब्जे में हो चुका था। मुरिया राज की स्थापना के इस शंखनाद के क्रमिक घटनाक्रम का उल्लेख लाला जगदलपुरी अपनी कृति 'बस्तर इतिहास एवं संस्कृति' में करते हुए कहते हैं कि 2 फरवरी से यह विद्रोह अपनी उग्रता में आता गया इस दिन पूसापाल बाजार भरा था, क्रांतिकारियों की भीड नें मुनाफाखोर व्यापारियों को भरे बाजार मारा पीटा और उनका सारा सामान लूट लिये उसके बाद 4 फरवरी को कूकानार में दो आदिवासियों नें एक व्यापारी की हत्या कर दी, 5 फरवरी करंजी बाजार लूट लिया गया। अब तक बस्तर में आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजी हुक्मरानों, व्यापारियों जो आदिवासी शोषक थे की जमकर धुनाई होने लगी थी। संचार साधनों व सरकारी इमारतें विरोध स्वरूप ध्वस्त किया जाने लगा था। राजा रूद्र देव प्रताप सिंह स्थिति का सामना करने में असमर्थ थे। बडी मुश्किल से 7 फरवरी को राजा का तार रायपुर पहुंचा तब अंग्रेजों को इस विद्रोह के संबंध में पता चला।

भीड हर जगह पंडा बैजनाथ को ढूढ रही थी, पंडा अपनी जान बचाते लुकते छिपते रहा। 9 फरवरी को उग्र भीड नें तीन पुलिस वालों को मार डाला। 10 फरवरी को पंडा के अनिवार्य शिक्षा के दबाव एवं पालकों पर जुर्म के विरोध में मारेंगा, तोकापाल और करंजी स्कूल जला दिये गये। यह क्रम 16 फरवरी तक चलता रहा, फिर रायपुर व मद्रास रेसीडेंसी से सैन्य सहायता पहुचनी आरंभ हो गई थी। अंग्रेज पुलिस अधीक्षक गेयर का मुठभेड खडकाघाट में उग्र क्रांतिकारियों की भीड़ से हो गया, गेयर के द्वारा भीड पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया जिसमें सरकारी आकडों के अनुसार पांच व गैरसरकारी आंकडों के अनुसार सैकडों आदिवासी मारे गये। गेयर के अंग्रेजी सेना के दबाव में क्रांति कुछ दब सा गया एवं 22 फरवरी तक सभी मुख्य 15 क्रांतिकारी नेता गिरफ्तार कर लिये गये। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन फिर उग्र हो गया 26 फरवरी को 511 छोटे बडे आंदोलनकारी गिरफ्तार कर लिये गये और सभी को सरेआम बेदम होते तक मारा गया और छोड दिया गया ताकि अंग्रेजों का दबदबा बना रहे किन्तु विद्रोह न दब सका। सरकारी गोदाम लूटे जाने लगे, छोटे नगरों और कस्बों के कैदखानों में बंद कैदियों को छुडा लिया गया। जंगल कानून से त्रस्त व परदेशियों के नाम आदिवासियों की जमीन चढा देनें एवं राजस्व अभिलेखों में गडबडी करने वाले पटवारियों को चौंक चौराहों में लाकर पीटा गया और उनके पीठ को नंगा कर छूरी के नोक से उसमें नक्शे बनाये गये।

अंग्रेजी हुकूमत नें आदिवासियों के इस विद्रोह को दबाने में अपनी रायपुर व मद्रास रेसीडेंसी की सेना के साथ ही घुडसवार पुलिस व पंजाब बटालियन को भी लगा दिया पर स्वस्फूर्त संगठित आदिवासियों का समूह अलग अलग स्थानों पर छापामार गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को अपनाते हुए भारी संख्या में अपने पारंपरिक पोशाकों व तीरों से लैस होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन व तोडफोड - आगजनी आदि करने लगते थे और अंग्रेजी सेना के आने तक जंगल में गुम हो जाते थे। अंग्रेज इस लम्बी लडाई से त्रस्त हो चुके थे।

25 मार्च 1910 तक यह क्रम चलता रहा। गूंडाधूर शोषित व अत्याचार से दमित मूल आदिवासियों के क्रांतिकारी समूह का नेतृत्व करता रहा। क्रांतिकारी अपने विजय यात्रा में बढते हुए नेतानार नामक गांव में इकट्ठे हुए यहां अस्त्र शस्त्र भी इकट्ठे किये गये।

मुरिया राज की स्थापना के इस शंखनाद के क्रमिक घटनाक्रम का उल्लेख लाला जगदलपुरी अपनी कृति 'बस्तर इतिहास एवं संस्कृति' में करते हुए कहते हैं कि 2 फरवरी से यह विद्रोह अपनी उग्रता में आता गया इस दिन पूसापाल बाजार भरा था, क्रांतिकारियों की भीड नें मुनाफाखोर व्यापारियों को भरे बाजार मारा पीटा और उनका सारा सामान लूट लिये उसके बाद 4 फरवरी को कूकानार में दो आदिवासियों नें एक व्यापारी की हत्या कर दी, 5 फरवरी करंजी बाजार लूट लिया गया। अब तक बस्तर में आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजी हुक्मरानों, व्यापारियों जो आदिवासी शोषक थे की जमकर धुनाई होने लगी थी। संचार साधनों व सरकारी इमारतें विरोध स्वरूप ध्वस्त किया जाने लगा था।

कुटिल अंग्रेजों नें आदिवासियों के बीच के ही एक आदिवासी सोनू मांझी को तोड लिया। सोनू मांझी नें अपने ही भाईयों के साथ गद्दारी की, क्रांतिकारियों की सभी सूचनायें अंग्रेजों को देने लगा। उसने 25 मार्च को नेतानार में भारी संख्या में क्रांतिकारियों के इकट्ठे होने की सूचना भी अंग्रेजों को दी। अंग्रेजों नें चाल चली वहां प्रशासन के द्वारा सोनू मांझी के सहयोग से भारी मात्रा में शराब व मांस पहुंचाया गया

(एने सोनू मांझी बिचार करला/दुई ढोल मंद के नेई देला/चाखना काजे बरहा पीला/अतक जाक के रूढांई देला/सेमली कोनाडी नेला/सोनू मांझी र अकल निरगम मारला)।

लंबे युद्ध के कारण आदिवासी थक गये थे ऐसे में उनका प्रिय पेय भारी मात्रा में मिला तो वे अपना संयम खो बैठे। सभी क्रातिकारियों नें छक कर शराब का सेवन किया और बेसुध हो गये

(मंद के दखि करि सरदा हेलाय/बरहा पीला के पोडाई देलाय/मंद संग काजे चाखना करलाय/खाई देलाय हांसि माति/गोठे बाती होई निसा धरि गला/अदगर कुप राति/निसा धरबा के पडला सोई/तीर धनु-कांड भाटा ने ठोई/अतक गियान तिके खंडकी ना रला/मातलाय बुध गुपाई)

ऐसे ही समय में सोनू मांझी नें अंग्रेजों की सेना को सूचित किया अंग्रजों नें नेतानार में आक्रमण कर दिया। आदिवासी मुकाबला कर नहीं सके, अंग्रेजी सेना की बंदूकें गरज उठी लडखडाते कदमों व थरथराते हांथों नें तीर कमान तो थामा पर वे मारक वार कर न सके।

सैकडों की संख्या में आदिवासी पुरूष व महिला क्रातिवीरों का शरीर गोलियों से छलनी होकर नेतानार में कटे पेडों की भांति गिरने लगा, धरती खून से लाल हो गई।

अंग्रेजों के बंदूकों नें बस्तर के मुक्ति संग्राम को नेतानार में सदा सदा के लिये मौत की नीद सुला दिया। भूमकाल के अनगिनत स्वतंत्रता के परवाने इस मुक्ति संग्राम की ज्वाला में भस्म हो गये जिनका नाम तक लोगों के जुबान में नहीं है यही वे सपूत थे जो कलसों की स्थापना के लिये संग्राम करते रहे ऐसे ही कंगूरों से स्वतंत्र भारत की इमारत खडी हो सकी ।

आलेख एवं प्रस्तुति - संजीव तिवारी

(संदर्भ ग्रंथ : बस्तर इतिहास एवं संस्कृति - लाला जगदलपुरी, छत्तीसगढ का जनजातीय इतिहास - डॉ.हीरालाल शुक्ल, आई प्रवीर दि आदिवासी गॉड - महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव, मारिया गोंड्स आफ बस्तर -डब्ल्यू व्ही ग्रिग्सन, बस्तर एक अध्ययन - डॉ.रामकुमार बेहार व विभिन्न पत्र-पत्रिकायें)

– दलित आदिवासी से साभार

thearyasamaj.org

पृष्ठ–5 का शेष

इस विकास की कीमत

बताया जाता है कि वर्तमान में कुल आबादी में करीबन पचपन करोड़ लोग युवा हैं और कृषि पर दबाव घटना चाहिए। लेकिन नई तकनीक लेकर आने वाले उद्योग या कुल संगठित क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार मुहैया करा पायेंगे?दस लाख, बीस लाख, पच्चीस लाख, एक करोड़। लेकिन हमें तो पचास-पचास फीसद वाले अनुपात के लिए पच्चीस करोड़ लोगों के लिए रोजगार चाहिए। तभी कृषि और उद्योग के बीच आदर्श संतुलन कायम हो सकता है।

मगर क्या मौजूदा विकास नीति से यह संभव है कि औद्योगिक क्षेत्र इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दे पायेंगे। क्या यह कठोर वास्तविकता नहीं कि आज भी सत्तर, अस्सी फीसद जनता कृषि क्षेत्र पर ही मूलतः निर्भर है। रोजगार मुहैया कराने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि ही है और उसकी अब तक घोर उपेक्षा हुई है। क्या हमने इस बात का कभी आकलन किया है कि औद्योगिक प्रदूषण से अब तक कितनी कृषि योग्य भूमि को हमने बंजर बना दिया है, किन-किन नदियों को औद्योगिक कचरे से पाट दिया है?रही-सही कृषि योग्य जमीन पर भी हम कारखाने लगा देंगे तो खेती पर निर्भर जनता का क्या होगा?

यह भी कितनी क्रूरता है कि अब उद्योग लगाने के लिए किसी को दस-बीस एकड़ जमीन नहीं चाहिए। अब तो किसी को पांच सौ एकड़, किसी को हजार एकड़ चाहिए और कुछ को तो इससे भी अधिक। अब उन्हें वहां सिर्फ कारखाना नहीं लगाना है – रिहायशी भवन, शानदार वातानुकूलित बाजार, हवाई पट्टी, स्वीमिंग पूल, पांच सितारा होटल आदि भी बनाने हैं। उन्हें तो अपना एक औद्योगिक साम्राज्य कायम करना है। इस नए साम्राज्यवाद या इस नई जमींदारी के लिए वे तथाकथित विकास की आड़ में गरीबों का गला घोंटने पर तुले हैं। यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। अगर उद्योग के लिए जमीन चाहिए ही तो उद्योगपति उन क्षेत्रों में जाएं जहां काफी बंजर परती जमीन पड़ी है। उसे विकसित करें और वहां उद्योग लगाएं।

गांधी जी की अहिंसा की दुहाई तो अमर्त्य सेन देते हैं, लेकिन कृषि और कुटीर उद्योग आधारित ग्राम स्वराज्य की जगह औद्योगीकरण को ही विकास का आधार मानते हैं। नंदीग्राम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह कुछ ज्यादा ही जटिल मामला है। कुछ विपक्षी दलों ने वहां 'मुक्त क्षेत्र' बना लिया है और वहां वे किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह भी एक हिंसक गतिविधि है जो भारत की अहिंसा की परंपरागत नीति के विरुद्ध है।

कोई भी किसी क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन किसी को यह छूट तो नहीं दी जा सकती कि वह सत्ता की मदद से, पूंजी के बल पर किसी क्षेत्र में प्रवेश करे, वहां के मूलवासियों को दर-बदर कर वहां अपना साम्राज्य बना ले। और विरोध के शांतिमय तरीकों को कुंद किसने किया है?

विरोध करने के कुछ अहिंसक रास्ते गांधी जी ने बताए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, असहयोग, शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन, आमरण अनशन आदि। लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आप धरना, प्रदर्शन, घेराव, व्यक्तिगत सत्याग्रह करके थक जाएं, अनशन करके मर जाएं, व्यवस्था के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पोस्को इसका ज्वलंत उदाहरण है।

याद रखना चाहिए कि गांधी जी ने सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह की बात नहीं कही थी। उन्होंने आत्मनिर्भरता, सादगी, सदाचार, कुटीर उद्योग और ग्राम स्वराज्य की बातें भी की थीं। और इनके बगैर अहिंसा की बात करना बेमानी है।

– गांधी मार्ग से साभार

पृष्ठ–7 का शेष

मासूम गिरोहों की दिल्ली

शहर का सबसे जीवंत स्थान होता है जहां बच्चों को पीने का पानी, सोने की जगह और बचा-खुचा खाना मिल जाता है, लेकिन जाहिर है, यहां भी जो सबसे शक्तिशाली है वही जीवित रह सकता है। ऐसे में छोटे और नए बच्चे यहां पहले से सक्रिय गिरोहों को अपने सुरक्षा तंत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आप इन स्टेशनों पर वहां पहले से स्थापित और सक्रिय गिरोहों को नकार कर रह ही नहीं सकते। इसलिए छोटे बच्चे वयस्कों के इन आपराधिक गिरोहों में शामिल हो जाते हैं, फिर यहीं उन्हें चारी करना, बोतल बीनना, ब्लेडबाजी करना और नशा करना सिखाया जाता है, इन गिरोहों में छोटे लड़कों का बहुत व्यापक स्तर पर शारीरिक शोषण होता है। बड़े लड़के छोटे

'सांसियों का यह गिरोह पुश्तैनी तौर पर अपने ही परिवार के बच्चों को अपराध में धकेलता है, ये लोग बहुत छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को चोरियां करने का प्रशिक्षण देने लगते हैं। सांसी समुदाय के बारे में बताते हुए राजगढ़ जिले की पुलिस अधीक्षक रुचि वर्धन मिश्रा कहती हैं, 'हम लोग इस विषय पर पिछले दो सालों से काम कर रहे हैं और कई कैंप लगवाने के बाद भी आज तक सांसियों को पुनर्वासित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये लोग अपनी आसान कमाई के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहते, एक शादी में की गई चोरी ही इन्हें कई महीनों के लिए भरपूर पैसा दे देती है, मेरे पास दिल्ली, आगरा और मथुरा के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों से भी शिकायत के फोन आते हैं, लेकिन जब माता-पिता ही बच्चों को सुनियोजित चोरियों में धकेल रहे हों तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पास जिस भी राज्य से फोन आता है, हम संबंधित बाल सुधार गृहों या स्पेशल होम वालों को इस बात के सख्त निर्देश दे देते हैं कि वे किसी भी कीमत पर बच्चों को उनके परिवारवालों को न सौंपें वर्ना वो बहुत जल्दी किसी दूसरी शादी में चोरी करते नजर आयेंगे।

लड़के-लड़कियों का लगातार शारीरिक शोषण करते हैं, उन्हें खाना और नशा भी देते हैं, अपने साथ रखते हैं और पुलिस से भी बचाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो भी नए बच्चों के साथ वही सब कुछ दोहराते हैं जो उनके साथ हुआ था।'

स्टेशन पर रहने वाले सैकड़ों मासूम बच्चों का बचपन इन आपराधिक गिरोहों के कभी न खत्म होने वाले दुष्चक्र में तो खत्म होता ही है कभी-कभी तेज रफ्तार ट्रेनों से कटकर भी खत्म हो जाता है। 11 अप्रैल, 2011 को 10 वर्षीय पेटू पटरियों पर बोतलें बीनते-बीनते अचानक एक ट्रेन के नीचे आ गया था, स्टेशन पर रहने वाले बच्चों के योजनाबद्ध पुनर्वास के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वाली समाजशास्त्री खुशबू जैन बच्चों के साथ जारी सख्त पुलिसिया रवैये को खारिज करते हुए कहती है, 'इस मामले को जब भी उठाया जाता है पुलिस तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बच्चों को स्टेशनों से मारकर भगा देती है। यह तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि पहले तो बच्चों के साथ किसी भी तरह की हिंसक जोर-जबरदस्ती कानून के खिलाफ है, दूसरी बात बच्चों को स्टेशनों से भगाना कोई समाधान नहीं है क्योंकि वे कुछ दिनों बाद यहां वापस आ जाते हैं, उनको धीरे-धीरे स्टेशनों के आस-पास ही पुनर्वासित करना होगा, उन्हें आस-पास ही रोजगार और शिक्षा के विकल्प देकर धीरे-धीरे मुख्यधारा में लाना होगा।

कड़िया सांसी गैंग – मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से दिल्ली, मथुरा और आगरा जैसे उत्तर भारतीय शहरों में छोटे बच्चों को चारियां करने के लिए भेजने वाला एक अंतरराज्जीय अपराधिक गिरोह सक्रिय है, राजगढ़ के नरसिंहगढ़ ब्लाक की कड़िया चौरसिया ग्राम पंचायत का एक गांव है कड़िया सांसी, इस गांव के कई बच्चे दिल्ली के संभ्रांत इलाकों में होने वाली शादियों और अन्य पारिवारिक समारोहों में चोरियां करते पाए गए हैं, नवम्बर 2012 में यहीं के दो बच्चे अशोक और वरूण दिल्ली में एक निजी समारोह में चोरी करने के बाद पकड़े गये थे। फरवरी, 2013 में कड़िया सांसी के नजदीकी गांव जतखेरी के दो बच्चों सावन और फूलन को भी पुलिस ने पकड़ा था, ये बच्चे राजधनी के केशवपुरम इलाके में चल रहे एक विवाह समारोह से लगभग 50 लाख रुपये के गहने और नकदी चुराते पकड़े गए थे, इन बच्चों से संबंधित दस्तावेज तहलका के पास मौजूद है।

सात जुलाई, 2012 को परमजीत सिंह दिल्ली के लारेंस रोड स्थित सेवन बैंक्वेट हाल में अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहे थे, रात के लगभग 12 बजे केक कटने के बाद सोने के जेवरों और तोहफों से भरा एक बैग वहां से गायब हो गया, पार्टी के दौरान खींची गई तस्वीरों की मदद से शुरुआती तहकीकात के बाद केशवपुरम पुलिस ने वरुण और अशोक को उनकी मां के साथ पकड़ लिया, कड़िया सांसी गांव के मकान नंबर-81 में रहने वाले इन बच्चों ने पूछताछ के दौरान बताया कि समारोह के दौरान उन्होंने तोहफों के बैग के पास बैठी एक महिला की साड़ी पर चटनी गिरा दी, जैसे ही वह महिला अपनी साड़ी साफ करने में व्यस्त हुई, बच्चे बैग लेकर वहां से चंपत हो गए, बच्चों को सुधार गृह भेजन के निर्देश देते हुए दिल्ली गेट स्थित बाल न्यायालय की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट गीतांजली गोयल का कहना था, '.... परिवारवालों की मदद से चोरियां करने वाले छोटे बच्चों से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं, ज्यादातर घटनाओं में बच्चे मध्य प्रदेश के राजगढ़ या खंडवा जिले से हैं, सभी मामलों में बच्चे

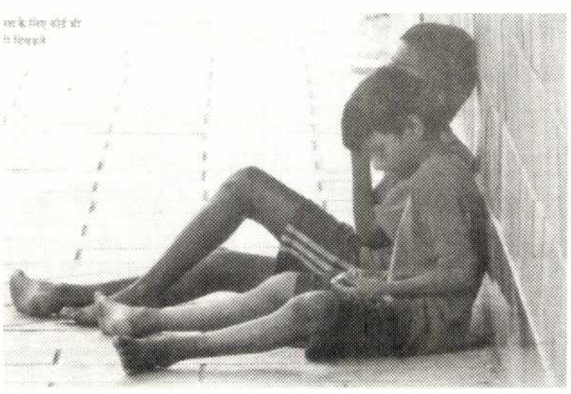

अपनी मांओ के साथ दिल्ली कपड़े बेचने आते हैं और बाद में बड़े समारोहों में चोरियां करते हुए पकड़े जाते हैं।'

इस अंतरराज्यीय नेटवर्क पर काम कर रही सामाजिक संस्था हक से जुड़े शाबाज खान बताते हैं। इन गांवों की सारी आबादी कंजर बंजारों की है, इनके छोटे-छोटे बच्चे दिल्ली के संभ्रांत इलाकों में होने वाली शादियों में तैयार होकर पहुंच जाते हैं और मोका मिलते ही लाखां के जेवर लेकर फरार हो जाते हैं। आम तौर पर शादियों में दुल्हन या कुछ खास लोगों के कमरों में काफी सामान रखा रहता है जिसे ये बच्चे आसानी से चुरा लेते हैं। बाहर इन्हें ले जाने या भगाने के पूरे इंतजाम होते हैं। पकड़े जाने पर ये सिर्फ यही कहते हैं कि ये तो खाना खाने के लिए शादी में आ गए थे, ये बच्चे कभी भी अपने माता-पिता या घर का पता नहीं बताते और इन्हें लेने भी हमेशा इनके मामा, चाची, मौसी या कोई दूसरा रिश्तेदार ही आता है।

'सांसियों का यह गिरोह पुश्तैनी तौर पर अपने ही परिवार के बच्चों को अपराध में धकेलता है, ये लोग बहुत छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को चोरियां करने का प्रशिक्षण देने लगते हैं। सांसी समुदाय के बारे में बताते हुए राजगढ़ जिले की पुलिस अधीक्षक रुचि वर्धन मिश्रा कहती हैं, 'हम लोग इस विषय पर पिछले दो सालों से काम कर रहे हैं और कई कैंप लगवाने के बाद भी आज तक सांसियों को पुनर्वासित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये लोग अपनी आसान कमाई के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहते, एक शादी में की गई चोरी ही इन्हें कई महीनों के लिए भरपूर पैसा दे देती है, मेरे पास दिल्ली, आगरा और मथुरा के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों से भी शिकायत के फोन आते हैं, लेकिन जब माता-पिता ही बच्चों को सुनियोजित चोरियों में धकेल रहे हों तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पास जिस भी राज्य से फोन आता है, हम संबंधित बाल सुधार गृहों या स्पेशल होम वालों को इस बात के सख्त निर्देश दे देते हैं कि वे किसी भी कीमत पर बच्चों को उनके परिवारवालों को न सौंपें वर्ना वो बहुत जल्दी किसी दूसरी शादी में चोरी करते नजर आयेंगे।

– शेष अगले अंक में (तहलका से साभार)

पृष्ठ–3 का शेष

अन्धविश्वास – प्रगति में बाधा

आज समस्त विश्व उसके उस सिद्धान्त को मानता है।

हमें अंधविश्वासों को त्यागकर जो बात बुद्धिसंगत हो, तर्कसंगत हो व विज्ञान सिद्धान्तों से मेल खाये, उसी को ही मानना चाहिए।

तेरह (13) के अंक को अपशकुन मानना – अंग्रेज लोग 13 के अंक को अपशकुन मानते हैं। हमारे भारतीय उनका बिना विचारे अन्धानुकरण करने लगे हैं। एक बार मैं अपने एक मित्र के साथ कार में यात्रा कर रहा था। मार्ग में एक कार दुर्घटना ग्रस्त पड़ी थी। मेरे मित्र महोदय कहने लगे, देखो, इस गाड़ी का नम्बर–इसके अंतिम दो अंक तेरह के हैं। क्योंकि 13 का अंक अपशकुन है, इसीलिए इसकी दुर्घटना हुई है। मैं उनका समझाने लगा कि दुर्घटना होने का कारण उसकी लापरवाही से गाड़ी चलाना हो सकता है। न कि गाड़ी का नम्बर 13, मैं उनसे कह रहा था कि यदि 13 का अंक इतना ही भयानक है तो प्रत्येक व्यक्ति 13 वर्ष की आयु में ही निपट जाता। अभी बात कर ही रहे थे कि एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया। मैंने उनसे कहा कि इसका नम्बर तो तेरह नहीं है, तो वह बोले आपने ध्यान नहीं दिया, उसके नम्बर के अंकों का जोड़ 13 बनता है। यानी कोई भी गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हो तो उसका नम्बर 13 ही होगा, अंकों का जोड़ 13 होगा या फिर 13 से वह नम्बर विभाजित होगा। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि गिनती में से 13 या 13 से विभाजित होने वाले अंकों को हटा देना चाहिए। विडम्बना तो यह है कि वे सज्जन आर्य समाज के पदाधिकारी हैं।

सुरक्षा विभाग के दिमाग का दिवालियापन – मैं पाठकगण का ध्यान 5.10.2007 के दैनिक ट्रिब्यून में छपे समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हरभजन सिंह नामक एक सैनिक जो पंजाब के कपूरथला के कुक्कन नाम

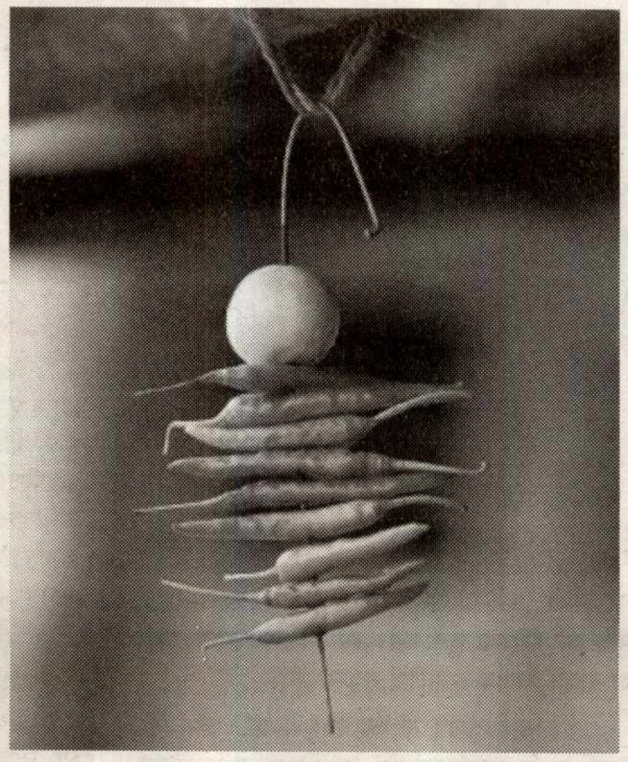

गांव का निवासी था, चीन के बॉर्डर पर दिनांक 4.10.68 को मारा गया। तब से लेकर निरन्तर उसकी यूनीफॉर्म को प्रतिवर्ष सितम्बर मास में उसके गांव उसका जन्मदिन मनाने के लिए लाया जाता रहा है। विडम्बना की बात यह है कि लगभग चालीस वर्ष तक उसकी आत्मा को प्रतिमास वेतन दिया जाता रहा है। जब उसकी यूनीफॉर्म को उसके गांव लाया जाता, बकायदा सेना के रिकॉर्ड में उसकी छुट्टी मंजूर होती थी। समय–समय पर उसकी पदोन्नति भी होती रही। मृत्यु के समय वह मात्र सिपाही था और वर्ष 2007 में उसे Honrary Captain बना दिया गया। एक सेवानिवृत्त सूबेदार प्यारसिंह जो 1970 में सेवानिवृत्त हुए, ने जालंधर में सुरक्षा विभाग के विरुद्ध अन्धविश्वास बढ़ाने के लिए मुकदमा डाला है।

वास्तुशास्त्र का भय – कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने एक धनाढ्य परिचित के यहां गया। देखा कि वे अपने मकान में तोड़–फोड़ करा रहे हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि आजकल व्यवसाय में बहुत हानि हो रही है। पण्डित जी ने इसका कारण बताया कि क्योंकि आपका घर दक्षिण अभिमुख है, इसलिए आपको हानि हो रही है। अत: मैं इसका प्रवेश द्वार पूर्व अभिमुख करा रहा हूं। मैंने पूछा, यहां कितने वर्ष से रह रहे हो। उन्होंने बताया 25–30 वर्ष से। मैंने कहा भले भाई जब आपके व्यवसाय में प्रगति हुई, उस समय भी तो आप इसी घर में रह रहे थे। आपके पड़ोस में जो सज्जन रह रहे हैं, उनका प्रवेश द्वार भी दक्षिण अभिमुख है, वे तो एम. एल. ए. भी बने और मिनिस्टर भी।

वे सज्जन वास्तविक कारण की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह कारण था उनकी जुए व शराब की लत, न कि घर का दक्षिण अभिमुख होना। जब उन्होंने मकान प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख कराया, उसके 1–2 वर्ष बाद उन्हें व्यवसाय में इतनी हानि हुई कि वह मकान ही बेचना पड़ा। अन्तत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अन्धविश्वासों की खाई से बाहर निकलो। ये अन्धविश्वास हमें अवनति की ओर ले जाते हैं। अतएव किसी भी बात पर विश्वास करने से पूर्व उसको तर्क के तराजू पर तोलें कि तर्कसंगत है, बुद्धिसंगत है, कि वह परमात्मा व प्रकृति के अनुकूल है अथवा नहीं।

– वैदिक संसार से साभार

सावधान ! **सावधान !!** **सावधान !!!**

सेवा में,

समस्त भारतवर्ष की आर्यसमाजों/आर्य संस्थाओं एवम् आर्य भाइयों के लिए आवश्यक सन्देश

विषय : क्या आप 100% शुद्ध हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं?

आदरणीय महोदय,

क्या आप प्रातःकाल एवम् सायंकाल अथवा साप्ताहिक यज्ञ अपने घर अथवा अपने आर्यसमाज मन्दिर में करते हैं?यदि "हाँ" तो यज्ञ करने से पहले जरा एक दृष्टि ध्यान से, आप जो हवन सामग्री प्रयुक्त करते हैं, उस पर डाल लीजिए। कहीं यह 'घटिया' हवन सामग्री तो नहीं अर्थात् मिलावटी, बिना 'आर्य पर्व पद्धति' से तैयार तो नहीं?इस घटिया हवन सामग्री द्वारा यज्ञ करने से लाभ की बजाय हानि ही होती है।

जब आप घी तो 100% शुद्ध प्रयोग करते हैं, जिसका भाव 250/- से 300/- रुपये प्रति किलो है तो फिर हवन सामग्री भी क्यों नहीं 100% शुद्ध ही प्रयोग करते हैं?क्या आप कभी हवन में डालडा घी डालते हैं?यदि नहीं तो फिर 'अत्यधिक घटिया' हवन सामग्री यज्ञ में डालकर क्यों हवन की भी महिमा को गिरा रहे हैं?

अभी पिछले 26 वर्षों में लगभग भारत की 75% आर्यसमाजों में गया तथा देखा कि लगभग सभी आर्य समाजें व आर्यजन सस्ती से सस्ती हवन सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि असली हवन सामग्री क्या होती है?तथा हम तो कम से कम भाव पर जहां भी मिलती है वहीं से मंगवा लेते हैं।

यदि आप 100% शुद्ध उच्च स्तर की हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं तैयार करवा देता हूँ यह बाजार में बिक रही हवन सामग्री से महंगी तो अवश्य पड़ेगी परन्तु बनेगी भी तो 'देशी' हवन सामग्री अर्थात् जिस प्रकार 100% शुद्ध देसी घी महंगा होता है उसी प्रकार 100% शुद्ध हवन सामग्री भी महंगी पड़ सकती है। आज हम लोग मंहगाई के युग में जो 14 से 35 रुपये प्रति किलो तक की हवन सामग्री खरीद रहे हैं वह निश्चित रूप से मिलावटी है क्योंकि 'आर्य पर्व-पद्धति' अथवा 'संस्कारविधि' में जो वस्तुएँ लिखी है वे तो बाजार में काफी महंगी हैं।

आप लोग समझदार है तो फिर बिल्कुल निम्न कोटि की घटिया हवन सामग्री क्यों प्रयोग करते चले आ रहे हैं?घटिया हवन सामग्री प्रयोग कर आप अपना धन और समय तो खो ही रहे हैं साथ ही साथ यज्ञ की महिमा को भी गिरा रहे हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रहे है कि आ हा ! यज्ञ कर लिया है।

भाइयों और बहनों! और पूरे भारतवर्ष की आर्यसमाजों के मंत्रियों और मन्त्रिणियो ! अब समय आ चुका है कि हमें जाग जाना चाहिए आप लोगों के जागने पर ही यज्ञ का पूरा लाभ आपको मिल सकेगा।

यदि आप लोग मेरा साथ दें तो मैं आप लोगों को वास्तव में वैदिक रीति के अनुसार ताजा जड़ी-बूटियों से तैयार करवाकर उच्च स्तर की 100% शुद्ध देशी हवन सामग्री जिस भाव भी मुझे पड़ेगी, उसी भाव पर अर्थात् 'बिना लाभ बिना हानि' सदैव भेजता रहूँगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरा साथ देंगे तथा यज्ञ की गरिमा को बनाए रखेंगे।

धन्यवाद सहित,

नोट : 1. हमारे यहां लोहे, तांबे एवं टीन की नई चादर से विधि अनुसार बने हुए सुन्दर व मजबूत विभिन्न साइजों के हवन-कुण्ड (स्टैण्ड सहित), सर्वश्रेष्ठ गुग्गुल, शुद्ध असली देशी कपूर, असली सफेद/लाल चन्दन पाउडर, असली चन्दन समिधा एवं तांबे के यज्ञपात्र भी उपलब्ध हैं।
2. सभी आर्य सज्जनों से निवेदन है कि वे लगभग जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं वह भाव हमें लिखकर भेज दें। हमारे लिए यदि सम्भव हुआ तो उनके लिखे भाव अनुसार ही हम बिल्कुल ताजा व बढ़िया से बढ़िया हवन सामग्री बनाकर भेजने का प्रयास कर देंगे। आदेश के साथ आधा धन अग्रिम मनीआर्डर से भेजें।

भवदीय
देवेन्द्र कुमार आर्य
विदेशों एवं समस्त भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त
(सुप्रसिद्ध हवन सामग्री विशेषज्ञ)
हवन सामग्री भण्डार
631/39, औंकार नगर-सी, त्रिनगर, दिल्ली-110035 (भारत)
मों. : 9958279666, 9958220342

thearyasamaj.org

पंजीयन संख्या DELMUL/2005/15488
डाक पंजीकरण संख्या DL(c)-01/1213/12-14
Licence to Post without prepayment of Postage. [U (c)-289/2012-14]

देश में नये सांस्कृतिक नव-जागरण की आवश्यकता

राष्ट्र का आधार सनातन हिन्दू समाज आज अपने ही देश में बेगाना हो गया है, अपसंस्कृति के बढ़ते प्रचार से संस्कारों का क्षरण हो रहा है, जो चिन्ता का विषय है। आज देश में फिर से एक नये सांस्कृतिक नव-जागरण की आवश्यकता है इसलिए प्रमाद को त्यागकर आर्यों को इस ऐतिहासिक दायित्व को निभाना होगा। उक्त विचार काशी आर्य समाज में आयोजित वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर बुधवार 4 जून को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के पुस्तकाध्यक्ष डॉ. जय प्रकाश भारती ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किये।

श्री श्रीनाथ सिंह पटेल प्रधान काशी आर्य समाज की अध्यक्षता में आयोजित उक्त अधिवेशन के अवसर पर काशी आर्य समाज का वार्षिक निर्वाचन भी सम्पन्न हुआ जिसमें श्रीनाथ सिंह पटेल-प्रधान, डॉ. प्रमिला बेरी, पं. ज्ञान प्रकाश आर्य, श्री शम्भूनाथ जी, विजयकुमार वर्मा-उपप्रधान, प्रकाश नारायण शास्त्री-मन्त्री, बृजमोहन जी, अशोक कुमार आर्य, विवेक सिंह एडवोकेट, बृजभूषण सिंह-उपमंत्री, डॉ. विशाल सिंह-कोषाध्यक्ष, सरोज कुमार मिश्रा एडवोकेट-प्रचारमंत्री, डॉ. गायत्री आर्या-पुस्तकाध्यक्ष, हरिहर सेठ, शिवशंकर प्रसाद प्रतिष्ठित सदस्य, निर्मला सिंह, लालचंद आर्य, शशि शेखर पाण्डे, प्रतिभा सिंह सोनी, सुरेश सेठ अन्तरंग समिति के सदस्य चुने गये। श्री गिरीश खन्ना तथा सुरेश यादव विशेष आमंत्रित सदस्य हुए।

वार्षिक अधिवेशन में वेद विदुषी डॉ. पुष्पावती आचार्या कर्मठ कार्यकर्ता डॉ. काशीनाथ तथा संजय सिंह यादव एडवोकेट के दुःखद निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजली दी गई।

अधिवेशन के प्रारम्भ में ईश प्रार्थना के उपरान्त अतिथियों, प्रतिनिधियों का स्वागत डॉ. विशाल सिंह ने, वार्षिक कार्यवृत्त मंत्री प्रकाश नारायण शास्त्री ने प्रस्तुत किया। धन्यवाद प्रकाश पं. ज्ञान प्रकाश आर्य ने, शांति पाठ श्री मोती लाल आर्य ने कराया।

– प्रकाश नारायण शास्त्री, मंत्री

प्रतिष्ठा में :–

अवितरण की दशा में लौटाएँ –
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
"दयानन्द भवन" 3/5 आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002

पाठकों के पत्र तथा प्रतिक्रिया

वैदिक सार्वदेशिक पत्रिका वास्तव में आम आदमी की पत्रिका का रूप लेती जा रही है। इस पत्रिका के प्रत्येक अंक में आम आदमी से सम्बन्धित समस्याओं और उनके निराकरण का प्रयास करते लेख प्रकाशित होते हैं तथा देश विदेश में व्यापक रूप से पैर पसार चुके अंधविश्वास और बुराइयों को उजागर करने में यह पत्रिका महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। हमारा साधुवाद आशा और कामना पत्रिका के दीर्घ जीवन और स्थायित्व की है।

– प्रो. रमेश त्यागी, खारी वाल कालोनी रतलाम (म.प्र.)

वैदिक सार्वदेशिक का 8 से 14 मई का अंक पढ़ने का सुअवसर एक आर्य समाज मंदिर में मिला। यह अंक बहुत अच्छा लगा। इसमें श्री विष्णु नागर का लिखा लेख 'परोपकार का धंधा' महिला समस्याओं की अनदेखी' मनीषा सहारा का लेख महिलाओं के सरोकारों से जुड़ा एक संदेश देता है। महिलाओं व युवाओं के लिए आत्म शक्ति व राष्ट्र निर्माण की दिशा में क्रांतिकारी विचारों से भरपूर पत्रिका के प्रयास प्रेरणादायक है। पत्रिका का मुद्रण भी आंखों को तृप्ति प्रदान करने वाला है। मैं इसे अपने घर पर मंगवाना चाहता हूं। अतः मैंने सार्वदेशिक सभा कार्यालय में इसका शुल्क धनादेश द्वारा भेज दिया है, कृपया मुझे यह पत्रिका नियमित रूप से भेजते रहें। धन्यवाद।

–मनीष कुमार 'सरल' हाजीपुर जिला-वैशाली (बिहार)

ईश्वरीय ज्ञान चारों वेदों की ऑडियो डी.वी.डी. मनुष्य मात्र के लिये उपलब्ध

10 या इससे अधिक सैट मंगाने पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठायें

परमात्मा ने अपने ज्ञान को सभी मनुष्यों के कल्याण के लिये श्रुति रूप में दिया, जो कि लम्बे कालान्तर के पश्चात् पुनः ऑडियो डी०वी०डी० (श्रुति) रूप में प्रस्तुत किया गया हैं।

चारों वेदों के बीस हजार चार सौ अठ्ठाईस (20,428) मंत्रों को हिन्दी में अर्थ और उनके भावार्थ सहित 362 घण्टे की 8 डी०वी०डी० में डाला गया है।

मंत्रों के साथ उनके देवता, ऋषि, छन्द एवं स्वर भी दिये गये हैं। सभी मंत्रों का शुद्ध एवं सस्वर पाठ किया गया है तथा साथ ही संगीत भी दिया है। 8 डी०वी०डी० के एक सेट की सहयोग राशि 1000 रू. है। 8 डी०वी०डी० के दस या दस से अधिक सेट मंगाने पर 50 प्रतिशत की छूट के साथ 500 रू. प्रति सेट में दिया जा रहा है। डाक व्यय इसके अतिरिक्त होता है।

हमारा लक्ष्य व्यापार करना न होकर वेदों को भारतीय प्रान्तीय भाषाओं एवं विश्व के देशों की प्रमुख भाषाओं में अनुवादित करके फिर श्रुतिरूप में करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है।

अतः इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग कीजिये और आज ही अपने लिये और दूसरों तक वेदों का ज्ञान पहुंचाने के लिये अधिक से अधिक सैट मंगाने का निम्न सम्पर्क सूत्रों पर आदेश कीजिये।

साहित्य विभाग

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
3/5 आसफ अली रोड, नई दिल्ली–2
फोनः 011–23274771, 23260985

सर्व धर्म संसद
7, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली–1
फोनः 011–23367943, 23363221

ईमेलः sarvadeshikarya@gmail.com
विश्वम्आर्यम स्प्रिचुअल डी.वी.डी., प्रा. लि. 302, पंचशील गली नं. 1 गढ़ रोड़ मेरठ (उ. प्र.)
www.vishvamaryam.com info@vishvamaryam.com
Mob. +91-8755280038

प्रवेश सूचना

स्वामी सर्वदानन्द संस्कृत महाविद्यालय साधु आश्रम (अलीगढ़) में शैक्षणिक सत्र 2014-15 हेतु प्रवेश प्रारम्भ। उ. प्र. में यह प्राचीनतम् संस्कृत विद्यालय है। यहां पर प्रथमा से आचार्य तक की शिक्षा संस्कृत और हिन्दी माध्यम से सभी विषयों में दी जाती है। विद्यालय में शिक्षा और निवास निःशुल्क और अनिवार्य है। अतः बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए शीघ्र प्रवेश करायें।

– डॉ. जीवन सिंह, प्राचार्य

घर-घर में सत्यार्थ प्रकाश पहुँचाने का सुनहरा अवसर

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली द्वारा एक बार फिर नये कलेवर में प्रकाशित

महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत अमर ग्रन्थ

सत्यार्थप्रकाश

मूल्य : 80 रुपये

आकर्षक एवं सुन्दर बहुरंगी आवरण तथा बढ़िया कागज

23X36 के 16वें साईज में 25 प्रतिशत विशेष छूट पर उपलब्ध है।

प्राप्ति स्थान : सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
"दयानन्द भवन" 3/5 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-2

प्रो० विट्ठलराव आर्य, सभा मंत्री, प्रकाशक व मुद्रक द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5 महर्षि दयानन्द भवन, (रामलीला मैदान/आसफ अली रोड), नई दिल्ली-110002 के लिए प्रकाशित तथा ज्योति प्रिंटिंग प्रेस, ई-94, सैक्टर-6, नोएडा-201301 से प्रकाशित एवं मुद्रित। (फोन : 011-23274771, 23260985 टेलीफैक्स : 23274216)
सम्पादक : प्रो० विट्ठलराव आर्य (सभा मन्त्री) मो.:0-9849560691, 0-9013251500 ई-मेल : sarvadeshik@yahoo.co.in, sarvadeshikarya@gmail.com वैबसाइट : www.vedicaryasamaj.com

वैदिक सार्वदेशिक साप्ताहिक में छपे लेखों तथा विचारों से सम्पादक या सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की सैद्धान्तिक मतैक्यता होना अनिवार्य नहीं है।